वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण
वित्तीय वर्ष 2020 – 2021

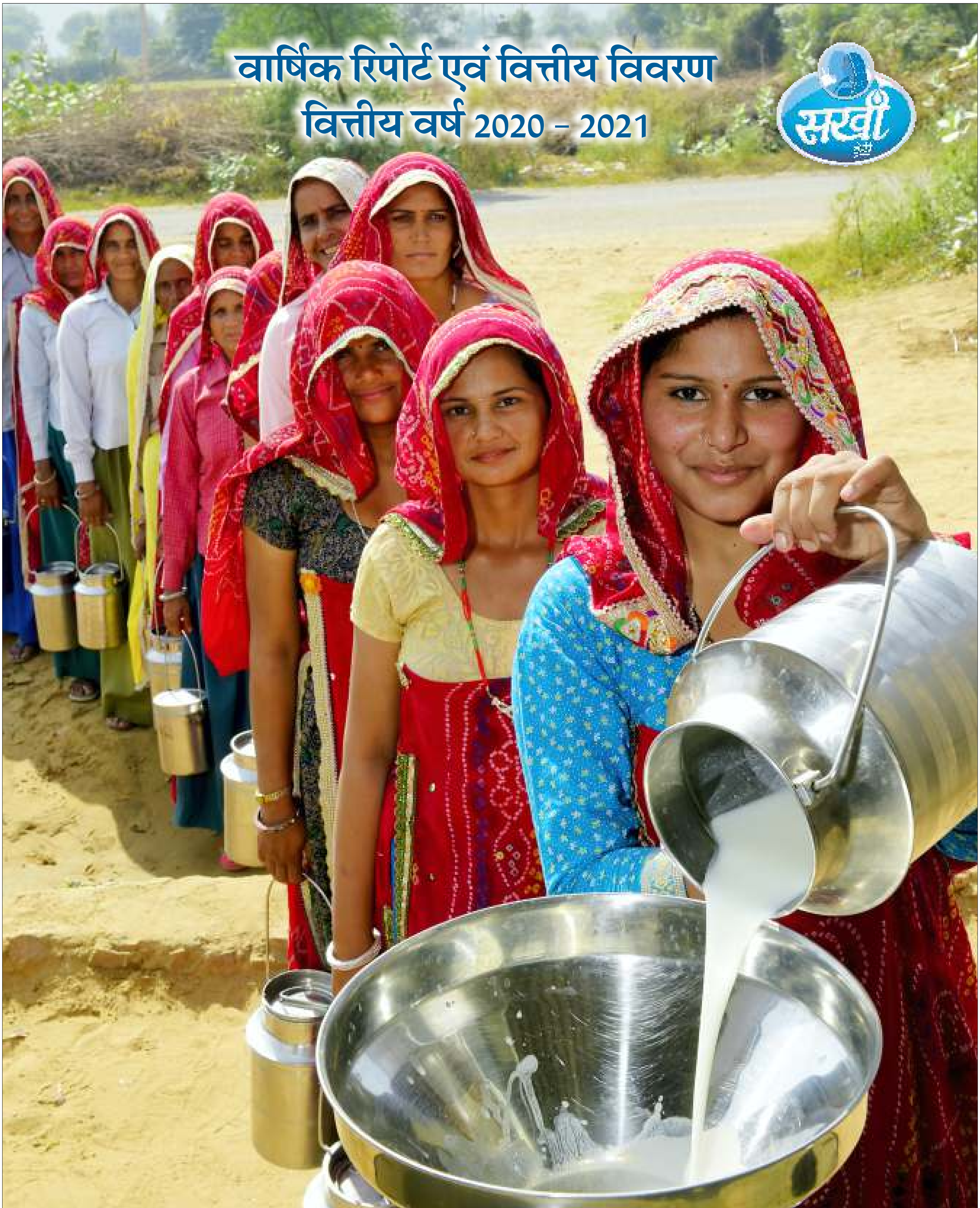

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8-बी, रूपवास रोड़, भवानी तोप, अलवर (राज.) – 301002

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के ध्येय

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपनी सभी सदस्याओं से गुणवत्ता युक्त दूध का संकलन लाभकारी मूल्य पर करेगी और दूध उत्पादन वृद्धि और दूध व्यवसाय से लाभ अर्जित करने के लिए पशु नस्ल सुधार और तकनीकि सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। कंपनी अपनी सदस्याओं के आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए कृत संकल्प है।

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की दीर्घ दृष्टि

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी दूध व्यवसाय के क्षेत्र में राजस्थान राज्य की दूध व्यवसाय से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं में से एक होगी। कंपनी अपने कार्यक्षेत्र की दूध उत्पादक महिलाओं की पहली पसंद होगी और दूध और दूध उत्पाद की उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाएगी।

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट	1-8
2.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	9-16
3.	वित्तीय खाते और उनके नोट्स	17-38
4.	छठी वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं सम्बन्धित अनुलग्नक	39-50
5.	वित्तीय वर्ष 2021 – 2022 के लिए बजट	51
6.	प्रॉक्सी फॉर्म	52
7.	प्राप्ति रसीद	53
8.	उपस्थिति पर्ची	54

नोट – हिन्दी भाषा में लिखित दस्तावेजों में किसी प्रकार की अस्पष्टता पाई जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।

निदेशकों की रिपोर्ट

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सदस्याओं के लिएः–

निदेशकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अंकेक्षित खातों के साथ छठी वर्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मार्च 2016 को राजस्थान राज्य में किया गया जो सदस्यों से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन संबंधी सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया।

वित्तीय परिणामः–

संक्षिप्त में वित्तीय प्रदर्शन निम्न प्रकार हैंः–

(राशि रूपये में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि रूपये में)	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि रूपये में)
संचालन से राजस्व	1,64,25,68,327	1,37,67,26,200
अन्य आय	70,57,122	30,48,293
कुल राजस्व	**1,64,96,25,449**	**1,37,97,74,494**
सामग्री लागत सहित व्यय	1,63,48,27,022	1,33,62,15,248
पूर्व अवधि मद	–	2,15,992
कर के पूर्व लाभ / (हानि)	**1,47,98,427**	**4,33,43,254**
कर के लिए प्रावधान	43,33,523	98,06,644
कर के पश्चात लाभ / (हानि)	**1,04,64,904**	**3,35,36,610**

कम्पनी के संचालन का विवरण –

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालन से कुल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 13767.26 लाख से बढ़कर 16425.68 लाख हो गया, इस प्रकार इसमें 19.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय रूपये 13362.15 लाख की तुलना में वृद्धि के साथ रूपये 16348.27 लाख रहे हैं। कोविड–19 महामारी के कारण कर पश्चात लाभ घटकर 104.64 लाख हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 335.36 लाख था।

सीमित लाभांश –

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने आठ रूपये प्रति समता अंश की दर से 453163 समता अंशों पर कुल रूपये 36,25,304/– (छत्तीस लाख पच्चीस हजार तीन सौ चार रूपये) लाभांश (डिविडेंड) की राशि देने की अनुशंसा की है। लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान उनसदस्याओं को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च 2021 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तान्तरण –

कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 11.10 के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल ने 68,39,600/– (अड़सठ लाख उन्तालीस हजार छह सौ रूपये) की राशि को वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए बैलेन्स–शीट में सामान्य संचय में क्रेडिट के लिए हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव किया है।

संचालन की समीक्षा –

दुग्ध संकलन

कम्पनी दुग्ध संकलन का संचालन दो एमसीसी और एक बीएमसी लोकेशनों के माध्यम से अलवर, भरतपुर और झुंझुनू जिले के 300 गाँवों में कर रही है। इसके अलावा, कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राजस्थान के अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और चूरू जिले के 300 गाँवों में दुग्ध का संकलन प्रारम्भ किया है। इस प्रकार कम्पनी दुग्ध का संकलन 4 एमसीसी और एक बीएमसी के माध्यम से राजस्थान के 4 जिलों अलवर भरतपुर झुंझुनू एवं चूरू के 600 गांवों में किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 391.76 लाख लीटर तरल दुग्ध का संकलन किया है।

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने सखी डेयरी के नाम से सखी घी ½ लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, 15 किलोग्राम पैक लॉन्च किया।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने जनवरी 2021 से अलवर और झुंझुनू जिले में मिल्क वेंडिंग मशीन के माध्यम से सम्पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था के साथ शहरी उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध की सप्लाई सीधे उनके द्वार स्तर पर शुरू की है।

वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के पास 29,693 बोर्ड अनुमोदित सदस्य थे। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में सदस्यता में वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार सदस्यों ने कम्पनी के कार्यों में अपना विश्वास दिखाया है। यह स्वस्थ संकेतक कम्पनी की विकास गाथा को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों के परस्पर सहयोग और समर्थन के साथ आने वाले वर्षों में उच्चतम शिखर तक पहुँच जायेगा। सदस्यों को कम्पनी में नियमित दुग्ध आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी ने अपने सदस्यों को 101.72 लाख रूपये का प्रोत्साहन दिया है।

जहाँ तक खरीद मूल्यों का सम्बन्ध है, कम्पनी अपने द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दुग्ध के प्रति अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य का भुगतान करती रही है।

कम्पनी लगातार लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जाँच और बेहतर लॉजिस्टिक नियंत्रण आदि के माध्यम से क्षमता को बढ़ाने और उत्पादकता को अधिकतम करने का प्रयास कर रही है।

उत्पादकता बढ़ाने हेतु सेवाऐं –

आहार संतुलन कार्यक्रम (आरबीपी) –

कम्पनी के संचालन क्षेत्र में, उत्पादक पुरानी भोजन प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। पशुओं की आवश्यकता के अनुसार बेहतर भोजन पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी ने आहार संतुलन कार्यक्रम (आरबीपी) को अपनाया है। उक्त कार्यक्रम के तहत दुग्ध उत्पादकों को पशुओं के लिए संतुलित आहार खिलाने की सलाह दी जाती है, जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास उपलब्ध खाद्य सामग्रीं का उपयोग करके संतुलित आहार दें, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य में वृद्धि होगी तथा दुग्ध उत्पादन लागत में कमी आयेगी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आहार संतुलन कार्यक्रम के तहत 2447 नए मवेशियों को शामिल किया गया है।

कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाऐं –

कम्पनी ने प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकत्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागु किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ – साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन के पश्चात NDDB के प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों के बाद पशु की पुनः गर्मी की जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भधारण की जाँच एवं ब्याने तक का विवरण ईनाफ सॉफ्टवेयर (INAPH Software) में सुरक्षित रखा जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए लगभग 16198 AI की है। (प्रथम AI फौलोअप में 45 प्रतिशत की गर्भाधान दर की निरन्तरता)

बाँझपन उपचार शिविर –

क्यों कि बाँझपन पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने में एक बड़ी बाधा है, इसलिए कम्पनी अपने संचालन क्षेत्र में बाँझपन उपचार शिविरों का आयोजन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कुल 285 बाँझपन उपचार शिविरों में 5985 मवेशियों का परीक्षण किया। जाँचे गए मवेशियों में से 1297 मवेशियों को एनेस्ट्रेस (anestrous) से पीड़ित पाया गया, जिसके लिए उचित उपचार दिया गया है और कुल 612 मवेशी ठीक हो गए हैं।

कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट (CMT) –

मास्टिटिस, एक संभावित घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण दुनिया भर में डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है। यह डेयरी उद्योग के लिए सबसे महंगी बीमारी भी है।

इसलिए, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने दुग्ध उत्पादक मवेशियों के लिए कुल 5987 सीएमटी (कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) आयोजित करवाए। परीक्षण किए गए कुल मवेशियों में से 342 मवेशी उक्त बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिनका इलाज किया गया एवं इन्हें ठीक किया गया।

पशु आहार –

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष 2366 मैट्रिक टन की तुलना में 2552 मैट्रिक टन पशु आहार का विक्रय किया जो कि 7.86 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दर्ज किया गया।

खनिज मिश्रण –

कम्पनी ने संचालन के क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और खिलाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड नाम के तहत खनिज मिश्रण विकसित किया है और स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन और दुग्ध पशुओं के प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध करा रहा है। कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 26.4 मैट्रिक टन खनिज मिश्रण का विक्रय किया।

गुणवत्तापूर्ण पहल –

सभी बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) और मिल्क चिलिंग सेंटर (एमसीसी),जिनका उपयोग किया जा रहा है, कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से पूर्णतः सुसज्जित हैं। कम्पनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की दिशा में, कम्पनी ने स्वच्छता पर जोर देने के साथ सभी सम्बन्धितों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है जो सीधे दुग्ध की गुणवत्ता से जुड़े हैं। ग्राम स्तर पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए 236 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 5287 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।हम खाद्य सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली को लागू करने की योजना बना रहे हैं और पहले ही एंटीबायोटिक दवाओं के परीक्षण का कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं।हम प्रेषण केंद्र पर सभी जावक टैंकरों की टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं।

उत्पादक संस्था विकास –

पीआईबी बेहतर प्रशासन विधि और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के जरिए कारोबार को मजबूत करता है। कम्पनी के कारोबार में सदस्यता और सदस्य भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके।

पीआईबी गतिविधियाँ मुख्य रूप से अपनी खुली एवं पारदर्शी शासन विधियों और उनके संरक्षण के अनुपात में इक्विटी के प्रति सदस्य के योगदान के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अन्य प्रतियोगियों से प्रोड्यूसर कम्पनी को अलग करती हैं।

एमपीसी कोर डिजाइन सिद्धांत –

कोर डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाता है।व्यावसायिक गतिविधियों को केवल महिला सदस्याओं के साथ प्रतिबंधित किया गया है। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता की व्यवसाय एवं प्रशासन विधि में भागीदारी को सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान मैचिंग अंश पूंजी में अंशदान को पूरा किया है।

ग्राम स्तर पर विलेज कॉन्टैक्ट ग्रुप (वीसीजी) नाम के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र शुरू किया गया जो सदस्यों और कम्पनी के बीच पारस्परिक संचार सुनिश्चित करने के लिए सामयिक आधार पर मिलते हैं, जिससे सदस्यों की शिकायतों का समाधान हो सके। कर्मचारियों की व्यवहार्यता और आत्म–निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए तथा व्यवसायिक संचालन के कुशलतापूर्वक प्रबन्धन और उच्च श्रेणी की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यवहार और प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम –

सदस्यों को डेयरी से सम्बन्धित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। सदस्यों, संभावित सदस्यों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार थे –

क्रम सं.	**प्रशिक्षण कार्यक्रम**	**आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या**	**प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या**
1.	निदेशक मण्डल के लिए व्यवसाय और शासन रणनीति कार्यशाला	1	4
2.	कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम	2	125
3.	गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम	326	6540
4.	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	352	6336
5.	ग्रामीण युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम	8	85
6.	ग्रामीण स्कूली बच्चों का जागरूकता कार्यक्रम	8	85
7.	उन्मुखीकरण कार्यक्रम (वीसीजी)	125	1080
8.	उन्मुखीकरण कार्यक्रम (एमआरजी)	37	185

इस महामारी (कोविड–19) को देखते हुए कर्मचारियों और सदस्याओं एवं कम्पनी से जुड़े सभी संबंधितों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और भीड़भाड़ से बचने के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन जूम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया।

नेशनल मिल्क डे के अवसर पर वर्ष 2019–20 के लिए राजस्थान राज्य में सर्वाधिक डिजिटल दूध भुगतान के लिए एनडीडीबी द्वारा सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी की सराहना की गई है।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने एग्रीकल्चर टुडे द्वारा आयोजित पुरस्कार श्रेणी में भाग लिया जिसमें सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी को डेयरी क्षेत्र के मध्यम आकार की सर्वश्रेष्ठ कम्पनी के रूप में सम्मानित किया गया।

इसी कार्यक्रम के दौरान कम्पनी के मुख्य कार्यकारी श्री धर्मेंद्र कुमार को भी सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया।

वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सामग्री में परिवर्तन –

31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इस रिपोर्ट की तारीख तक सामग्री/आवश्यक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और नियामकों और न्यायालयों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे कम्पनी की स्थिति और इसके भविष्य का संचालन प्रभावित हो।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन –

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अंश पूंजी और सदस्यता –

31 मार्च, 2021 तक, प्रदत्त समता अंश पूंजी 453.163 लाख रुपये थी, जिसमें कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सौ रुपये के 4,53,163 समता अंश और 29,693 सदस्या शामिल थी। 31 मार्च, 2021 के बाद, कम्पनी ने 3429 सदस्याओं की सदस्यता रद्द कर दी है, जिनके पास 34438 शेयर थे और 2295 नए सदस्याओं को नामांकित किया जिन्हें 69.534 लाख रुपये की अंश पूंजी आवंटित की है। और इस प्रकार इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्याओं की कुल संख्या 28,559 है और जिनकी अंश पूंजी 488.259 लाख रुपये है।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति–

वे दुग्ध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्य थे, वार्षिक आम सभा में भाग ले सकेंगे। वोट का अधिकार हर उस सदस्य को होगा, जिसने वित्तीय वर्ष 2020–21 में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की हो।

निदेशक मण्डल –

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री ब्रजेश नारायण सिंह ने 27 जुलाई, 2021 से अपना इस्तीफा दे दिया और श्री सुनील शर्मा को 16 अगस्त, 2021 से दो वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के संदर्भ में श्रीमती जुल्फीना बानो और श्रीमती अंजना कुमारी आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगी। अपात्र होने के कारण वे पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं। परिणामी रिक्तियों को श्रीमती पिंकी शर्मा और श्रीमती सुनीता बाई को नियुक्त करके भरा जा सकता है।

निदेशकों के दायित्व सम्बन्धी विवरण–

जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक है। कम्पनी के निदेशक पुष्टि करते हैं कि –

(क) वित्तीय वर्ष के लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि 31 मार्च 2021 तक कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

(ग) कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख–रखाव के लिए आवश्यक, पर्याप्त एवं उचित सावधानी रखी है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को चालू संस्था के आधार पर तैयार किया है।

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

अंकेक्षक –

कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक मैसर्स कालानी एण्ड कम्पनी इस वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्होंने पुनः नियुक्त होने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए पत्र दिया है। अतः निदेशक मण्डल ने मैसर्स केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउण्टेंट, नई दिल्ली को कम्पनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की है। जिन्हें आगामी वार्षिक आमसभा में अंशधारकों की मंजूरी के अधीन नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। और इस हेतु उन्होंने अपनी पात्रता और पद स्वीकार करने की इच्छा की पुष्टि की है। निदेशक मण्डल में मैसर्स केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउण्टेंट, नई दिल्ली को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति के अनुशंसा करते हैं।

आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा अंकेक्षण –

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही एवं उचित आन्तरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है।

मैसर्स रे एण्ड रे चार्टर्ड एकाउन्टेंटस को स्वतंत्र रूप से कम्पनी का आन्तरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया है जो कि स्वतंत्र रूप से कम्पनी की आँतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ–साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करते हैं।

मानव संसाधन –

कम्पनी से सम्बंधित लोग कम्पनी की संपत्ति हैं और कम्पनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कम्पनी को विकसित होने में सक्षम बनाया है। कम्पनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण की पेशकश करने के लिए प्रयासरत है जहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को पहचाना जाता है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कम्पनी के विजन, मिशन और वैल्यूज का पालन कम्पनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर अक्षरशः किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी –

सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती हैं और सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती हैं।सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य संचालन में दक्षता में सुधार करने, सही सूचना के आधार पर निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करना है। हमारी कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप, सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहा है।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने सखी डेयरी एप लॉन्च किया।

कर्मचारियों का विवरण–

रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान, कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित विवरण प्रस्तु करने की आवश्यकता है।

अ. कम्पनी नियमों के भाग ए तथा बी ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर लागू नही होते है।
ब. विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय – शून्य, निकासी – शून्य

बैठकें –

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की पाँच (5) बैठकें विधिवत रूप से दिनांक 19.06.2020, 25.08. 2020, 20.10.2020, 16.02.2021 और 30.03.2021 को आयोजित की गईं।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण –

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं किया है।

सम्बन्धित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण–

सम्बन्धित पक्षों के साथ सभी अनुबंध या व्यवस्था आर्म्स लैन्थ प्राईस के आधार पर की जाती है। अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स के नोट संख्या 30 पर दिखाई देता है।

वार्षिक विवरण का सार –

कम्पनी का वार्षिक विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.sakhimilk.com पर उपलब्ध है।

धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हैं –

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 12 के तहत कम्पनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

जोखिम प्रबन्धन नीति –

मैसर्स रे एंड रे आन्तरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्टों में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम आकलन देते हैं और इन रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। हमारी कम्पनी के पास किसी भी जोखिम जिससे कम्पनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है की पहचान करने और उसे कम करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति है।

जमा –

अधिनियम के प्रावधानों के तहत जमा से सम्बन्धित विवरण के सम्बन्ध में किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी में कोई जमा नहीं है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण –

कम्पनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं।

लागत लेखा परीक्षा और रिकॉड –

लागत लेखा परीक्षा और लागत अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत स्पष्टीकरण –

कम्पनी के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) और उसके अनुपालन में आन्तरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है और सुरक्षित कार्यस्थल नीति को लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कम्पनी को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कम्पनी की सामाजिक जिम्मेदारी –

कम्पनी सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

इंसोल्वेन्सी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016 –

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान इंसोल्वेन्सी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था या न ही कोई कार्यवाही लम्बित थी।

सतर्कता तंत्र (विजिल मेकेनिज्म) –

सतर्कता तंत्र (विजिल मेकेनिज्म) का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की प्रयोज्यता –

कम्पनी पर एक उत्पादक कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A के प्रावधान 10 फरवरी 2021 तक लागू थे। इसके बाद 11 फरवरी 2021 से उत्पादक कम्पनी अधिनियम, 2013 को कम्पनी अधिनियम के अध्याय XXI-A के रूप में अधिसूचित किया गया। परिणामस्वरूप कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करना शुरू कर दिया है।

आभार–

कम्पनी का निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान अपनी सदस्याओं, व्यावसायिक सहयोगियों और बैंकरों द्वारा दिए गए योगदान एवं नियमित सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मण्डल धानी फाउण्डेशन और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के द्वारा दिए गए उनके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल कम्पनी के सभी कर्मचारियों, सभी सम्बन्धितों के सहयोग, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उनकी सराहना करते हैं, जिनके बिना कम्पनी की सर्वांगीण प्रगति एवं विकास सम्भव नहीं था।

वास्ते निदेशक मण्डल

मनजीत कौर

अध्यक्षा

डीआईएन: 07674902

दिनांक –

स्थान – अलवर

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यागण,

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड,

राय

हमने सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है। (जिन्हें यहाँ वित्तीय विवरण के रूप में सम्बोधित किया गया है।)

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते है जैसे कि नीचे ''राय के लिए आधार'' पैराग्राफ में संदर्भित किया गया है 31 मार्च 2021 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाएं देते है।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों के (SAs) अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र है, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है, जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गये प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है। हमने इन आवश्यकताओं और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण की राय प्रकट करने के लिए आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट –

कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट और अनुलग्नक तथा अन्य कम्पनी संबंधित सूचनाऐं सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नही है। ऊपर पहचान की गई अन्य सूचनाऐं इस ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नही करते है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से अंसगत है या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अन्य सूचना में भौतिक रूप से मिथ्याकथन है तो इस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्यवाही भी की जावे।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन और उन पर शासन सम्बन्धित उत्तरदायित्व –

कम्पनी का निदेशक मण्डल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के एवज में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदाई है। जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के अनुसार एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित कम्पनी (लेखा मानक) नियम 2006, (संशोधित) के साथ पढ़ा जाता है। इस जिम्मेदारी में कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। इसमें कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताएं का पता लगाने एवं रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेख, अभिलेखों के रख–रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नही ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नही हों।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व –

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारें में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखेधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते है। हम भी –

- वित्तीय विवरणों में भौतिक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखेधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जो कि हमारी राय के लिए आधार प्रदान कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के तहत, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखाकन अनुमानों की तर्क संगति तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिये प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कम्पनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है तो अपनी राय संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखने में रूकावट उत्पन्न कर सकता है।

- वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते है जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते है।

भौतिकता वितीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बयानों का परिणाम है जिससे यह संभावना होती है कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता की यथोचित जानकारी से आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते है,

(1) हमारे अंकेक्षण के दौरान योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन मे मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

(2) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अभिशासन से संबंधित, अन्य मामलों में, अंकेक्षण की योजना, समय एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी जो अंकेक्षण के दौरान पहचान की गई है, को सम्मिलित करते है।

हम अभिशासन के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों एवं संबंधों का संवाद किया है जोकि हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट –

1. जैसा कि अधिनियम'' की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (आदेश) 2016 द्वारा अपेक्षित है। हम अनुलग्नक ए में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं।

2. जैसा कि ''अधिनियम'' की धारा 143 (3) के अनुसार आवश्यक हो और हमारे अंकेक्षण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि –

    a. हमने वे सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

    b. हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें है जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।

    c. इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

    d. हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है। जिसे कम्पनी (लेखा मानक) नियम 2006 के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि संशोधित किया गया है।

    e. 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मण्डल के 31 मार्च, 2021 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक ''अधिनियम'' की धारा 164(2) अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नही है।

    f. कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट **''अनुलग्नक ब''** को देखें।

    g. अधिनियम की धारा 197(16) जैसाकि संशोधित किया गया है, के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतू अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी और दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी एक प्राईवेट कम्पनी है इसलिए धारा 197 जोकि प्रबंधक पारिश्रमिक से संबंधित है, लागू नही होती है।

h. कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार –

   1. कम्पनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

   2. कम्पनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई सामग्री निकट नुकसान था।

   3. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

3. जैसा कि ''अधिनियम'' के अध्याय XXI A की धारा 378ZG (कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX A की धारा 581ZG 10.10.2021 तक लागू) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि –

   a. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि नोट नंबर 14 में वित्तीय विवरणों के रूप में बताई जाती है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के मुताबिक, किसी भी ऋण को रिकवरी के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है ।

   b. हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांच की गई खातों की पुस्तकों के अनुसार, न तो कम्पनी के पास वर्ष के अंत में नकदी थी और न ही कम्पनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश रखती है ।

   c. 31 मार्च, 2021 को सम्पत्तियों और दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।

   d. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने ऐसा कोई लेन–देन निष्पादित नहीं किया है जो अधिनियम के अध्याय XXIA (कम्पनी अधिनियम 1956 के पूर्व भाग IXA, 10.02.2021 तक लागू) के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है।

   e. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।

   f. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने इस अवधि के दौरान कोई दान या सदस्यता (सब्सक्रिप्शन) नहीं दी है।

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000722C

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 416293

स्थान – जयपुर
तिथि – 1 सितम्बर 2021
UDIN: 21416293AAAADM2494

स्वतन्त्र अंकेक्षण के प्रतिवदेन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – ''अ''

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सखी महिला दुग्ध उत्पादक कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण रिपोर्ट तथा अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ – 1 के तहत संदर्भित।

i. कम्पनी की अचल सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के सम्बन्ध में –

क. कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

ख. जैसा कि हमें समझाया गया है, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध आवधिक तरीके से सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में उचित है, जो कम्पनी के आकार और उसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति के संबंध में है। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नजर नहीं आईं।

ग. हमारे सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई अचल सम्पत्ति कम्पनी द्वारा आयोजित नहीं की जाती है।

ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के प्रबंधन ने नियमित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नजर नहीं आईं।

iii. कम्पनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टी को कोई असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है। इसलिए, उक्त भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv. कम्पनी ने कोई ऋण प्रदान नहीं किया है, कोई निवेश नहीं किया है और ना ही गारंटी प्रदान की है, इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

v. कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi. केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव का निर्धारित नहीं किया है। इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vii.

क. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि सहित निर्विवाद सांविधिक देयों के संबंध में खातों की पुस्तकों में काटी गई/अर्जित राशि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक देय (लागू के रूप में) आम तौर पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ जमा किया गया है और 31 मार्च 2021 को उनके द्वारा भुगतान की गई तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद सांविधिक बकाया नहीं है।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, माल और सेवा कर या विवाद के तहत मूल्य वर्धित कर का कोई अवैतनिक बकाया नहीं है।

viii. हमें दिए गए खातों की पुस्तकों और सूचना और स्पष्टीकरण की जांच के आधार पर, कम्पनी ने बैंकों को ऋण या उधार चुकाने में चूक नहीं की है। कम्पनी ने सरकार या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है और कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

ix. कम्पनी ने टर्म लोन के माध्यम से ऋण साधन या धन सहित आरंभिक सार्वजनिक संकल्प के माध्यम से धन नहीं जुटाया है, इसलिए ऑर्डर के भाग IX के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी द्वारा कोई सामग्री धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कम्पनी पर किसी भी धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

xi. नए अधिनियम की अनुसूची पाँच के साथ पढ़ी गई धारा 197 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं, चूंकि कम्पनी एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी है। इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xii. कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है, इसलिए आदेश के इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी परीक्षा के आधार पर, कम्पनी ने संबंधित पक्षों के साथ जहां भी लागू हो, अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों का पालन किया है। संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के विवरण को लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में बताया गया है।

xiv. वर्ष के दौरान कम्पनी ने शेयरों का प्रिफरेन्शियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी नहीं किया है और इसीलिए आदेश के खंड XIV के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है

xv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने निर्देशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर – नकद लेनदेन नहीं किया है और इसीलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvi. कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 451A के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 0007220
(कमलेश कुमार खंडेलवाल)
पार्टनर

सदस्यता संख्या 416293

स्थान – जयपुर
तिथि – 1 सितम्बर 2021
UDIN: 21416293AAAADM2494

स्वतन्त्र अंकेक्षण के प्रतिवदेन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – "ब"

हमारी तिथि को सखी महिला दुग्ध उत्पादक कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण रिपोर्ट 31 मार्च 2021 की समाप्ति पर अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ – 2(f) में निर्दिष्ट।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (1) के तहत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट–

हमने 31 मार्च, 2021 को सखी महिला दुग्ध उत्पादक कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व –

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकांउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हे लागू करना तथा उन्हें बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्बक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख–रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय –

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्ठि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबंधकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे है तथा (3)

कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारें में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते है और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2021 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान (ICAI) द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 0007220
(कमलेश कुमार खंडेलवाल)
पार्टनर

सदस्यता संख्या 416293

स्थान – जयपुर
तिथि – 1 सितम्बर 2021
UDIN: 21416293AAAADM2494

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, अलवर

सीआईएन : U01122RJ2016PTC049648

31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए चिट्ठा **(राशि रूपयों में)**

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
I.	**समता एवं दायित्व**			
1	**अंशधारकों का कोष**			
	(अ) अंश पूंजी	1	453,16,300	269,82,800
	(ब) संचित एवं अधिशेष	2	577,28,279	494,21,999
2	**आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि**		66,85,700	31,20,400
3	**स्थगित अनुदान**	3	737,87,744	516,98,934
4	**गैर–चालू दायित्व**			
	(अ) अन्य दीर्घकालीन दायित्व	4	194,43,940	118,43,900
	(ब) दीर्घकालीन प्रावधान	5	20,14,796	15,72,638
5	**चालू दायित्व**			
	(अ) अल्पकालीन ऋण	6	2257,87,777	941,70,133
	(ब) व्यापारिक देनदारियां	7		
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		684,96,908	525,46,526
	(स) अन्य चालू दायित्व	8	373,33,944	271,44,609
	(द) अल्पकालीन प्रावधान	9	81,481	55,03,416
	योग		**5366,76,868**	**3240,05,355**
II.	**संपत्तियाँ**			
1	**गैर–चालू संपत्तियाँ**			
	(अ) संपत्ति, प्लांट और उपकरण	10		
	(i) मूर्त संपत्तियाँ		746,49,836	430,66,585
	(ii) अमूर्त संपत्तियाँ		11,49,564	30,052
	(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य		-	91,14,585
	(ब) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	11	4,76,121	4,54,612
	(स) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	12	37,500	37,500
2	**चालू संपत्तियाँ**			
	(अ) स्टॉक	13	239,05,067	42,78,184
	(ब) व्यापारिक लेनदारियाँ	14	3275,36,339	1603,55,653
	(स) रोकड एवं रोकड तुल्य	15	776,17,498	945,37,472
	(द) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	16	291,52,298	110,67,627
	(य) अन्य चालू संपत्तियाँ	17	21,52,645	10,63,084
	योग		**5366,76,868**	**3240,05,355**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों के नोट्स		A-C		

वास्ते निदेशक मण्डल एवं उनकी ओर से

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते कालानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 000722सी

(मनजीत कौर)
अध्यक्षा
DIN: 07674902

(धर्मेन्द्र कुमार)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 07563916

(अंजना कुमारी)
निदेशक
DIN: 08157328

(सौरभ जैन)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 45759

(मयंक गोयल)
वित्त प्रमुख
सदस्यता सं. 456058

कमलेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
सदस्यता सं. 416293

स्थान :

दिनांक :

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, अलवर
सीआईएन : U01122RJ2016PTC049648

31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि को **(राशि रू. में)**

लाभ–हानि का विवरण

विवरण	**नोट सं.**	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**
परिचालन से राजस्व	18	16425,68,327	13767,26,200
अन्य राजस्व	19	70,57,122	30,48,293
कुल राजस्व		**16496,25,449**	**13797,74,494**
व्ययः			
व्यवसाय में लगे स्टॉक की खरीद एवं अन्य संबंधित व्यय	20	14709,54,219	12283,73,336
परिचालन व्यय	21	1043,09,997	665,72,083
व्यवसाय में लगे स्टॉक में परिवर्तन	22	(196,26,883)	2,86,869
कर्मचारियों के लाभों संबंधित व्यय	23	204,11,266	124,45,820
मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधित व्यय	10	2,29,890	69,339
वित्तीय लागतें	24	85,03,117	54,10,394
अन्य व्यय	25	500,45,415	230,57,406
कुल व्यय		**16348,27,022**	**13362,15,248**
पूर्व अवधि मद एवं कर पूर्व लाभ		**147,98,427**	**435,59,246**
गत अवधि की मदें	26	-	2,15,992
कर पूर्व लाभ		**147,98,427**	**433,43,254**
कर व्ययः			
(1) चालू कर		40,00,000	100,30,000
(2) गत वर्ष का कर		3,55,032	(1,204)
(3) आस्थगित कर व्यय/(आय)		(21,509)	(2,22,152)
शुद्ध कर व्यय		43,33,523	98,06,644
वर्ष का लाभ/(हानि)		**104,64,904**	**335,36,610**
प्रति समता अंश आय	27		
समता अंश 100 रूपये प्रति अंश			
(1) मूल		32.77	223.29
(2) डायल्यूटेड		32.47	222.64
प्रति अंश आय में प्रयोग किये गये अंशों की संख्या			
(1) मूल		3,19,333	1,50,194
(2) डायल्यूटेड		3,22,342	1,50,631
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं वित्तीय विवरणों के नोट्स	A-C		

वास्ते निदेशक मण्डल एवं उनकी ओर से

(मनजीत कौर)
अध्यक्षा
DIN: 07674902

(धर्मेन्द्र कुमार)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 07563916

(अंजना कुमारी)
निदेशक
DIN: 08157328

स्थान :

दिनांक :

(सौरभ जैन)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 45759

(मयंक गोयल)
वित्त प्रमुख
सदस्यता सं. 456058

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते कालानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 000722सी

कमलेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
सदस्यता सं. 416293

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन : U01122RJ2016PTC049648

31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए
रोकड़ प्रवाह विवरण

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	विवरण	राशि	विवरण	राशि
अ) प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लाभ–हानि विवरण के अनुसार कर से पूर्व शुद्ध लाभ		147,98,427		433,43,254
के लिए समायोजनः				
वित्त लागत	85,03,117		54,10,394	
मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधित व्यय	2,29,890		69,339	
स्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ	(15,577)		(11,303)	
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	4,75,688		7,93,931	
प्राप्त ब्याज	(46,74,103)		(17,34,722)	
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	45,19,015		45,27,639	
समायोजन के लिए :				
अन्य दीर्घकालीन दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	76,00,040		49,83,900	
व्यावसायिक देयताओं में वृद्धि/(कमी)	159,50,382		276,33,616	
चालू दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	101,89,334		49,81,746	
स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	(196,26,883)		2,86,869	
व्यावसायिक प्राप्यों में वृद्धि/(कमी)	(1671,80,686)		(570,00,532)	
अन्य चालू संपत्तियों में वृद्धि/(कमी)	(9,13,516)		(5,31,507)	
अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	(179,42,594)		(1,78,611)	
दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	.		(3,000)	
परिचालन एवं प्रयुक्त से अर्जित रोकड़	**(1674,04,906)**		(152,99,880)	
शुद्ध आय कर भुगतान	99,52,576		57,05,283	
प्रयुक्त/परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (अ)		**(1625,59,055)**		**223,38,091**
ब) विनियोगात्मक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) जो कि रोकड़ एवं रोकड तुल्य नहीं माना जाता है।	367,95,984		(786,55,171)	
पीपीई की खरीद (शुद्ध प्राप्त अनुदान)	(17,29,258)		(5,22,627)	
पीपीई की बिक्री (शुद्ध हस्तांतरित अनुदान)	15,577		11,303	
ब्याज की आय	44,98,057		17,34,722	
विनियोगात्मक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ब)		**395,80,360**		**(774,31,773)**
स) वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अंश पूंजी से प्राप्तियाँ (समता अंशों का निर्गमन)	152,13,100		139,74,200	
अल्पावधि उधार से प्राप्त आय	1316,17,644		312,98,457	
आवंटन हेतु अंश आवेदन राशि	66,85,700		31,20,400	
सीमित प्रतिफल/प्रदत्त लाभांश	(21,58,624)		(8,82,408)	
उपरोक्त सीमित आय/लाभांश पर कर	.		(1,81,382)	
वित्तीय लागत	(85,03,117)		(54,10,394)	
प्रयुक्त वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (स)		**1428,54,704**		**419,18,873**
रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी		198,76,009		(131,74,809)
रोकड एवं रोकड तुल्य का प्रारम्भिक शेष		104,52,473		236,27,281
रोकड एवं रोकड तुल्य का अंतिम शेष		**303,28,482**		**104,52,473**

रोकड प्रवाह विवरण के नोट्स

1. रोकड प्रवाह विवरण बनाते समय लेखा मानक 3 के खण्ड 18 में उल्लेखित अप्रत्यक्ष विधि को अपनाते हुए रोकड प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।
2. रोकड एवं रोकड तुल्य में सम्मिलित है

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अ) हस्तगत रोकड	-	-
ब) बैंक शेष		
–चालू खाते	87,24,737	68,28,534
–बचत खाता	3,03,263	17,15,477
–जमा खाते	213,00,482	19,08,461
TOTAL	303,28,482	104,52,473

वास्ते निदेशक मण्डल एवं उनकी ओर से

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते कालानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 000722सी

(मनजीत कौर)
अध्यक्षा
DIN: 07674902

(धर्मेन्द्र कुमार)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 07563916

(अंजना कुमारी)
निदेशक
DIN: 08157328

(सौरभ जैन)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 45759

(मयंक गोयल)
वित्त प्रमुख
सदस्यता सं. 456058

कमलेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
सदस्यता सं. 416293

स्थान :

दिनांक :

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, अलवर

CIN : U01122RJ2016PTC049648

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, वित्तीय विवरणों के नोट्स

अ. कम्पनी के बारे में

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) का गठन 19 मार्च, 2016 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A के तहत एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी (CIN U01122RJ2016PTC049648) के रूप में प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से दुग्ध की पूलिंग, खरीद, प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद का व्यवसाय करने एवं सदस्यों के हित में दुग्ध के उत्पादन को बढानें हेतु प्रजनन, पशु–आहार, पशु चिकित्सा एवं इससे जुडी उनके लाभ में वृद्धि करने वाली अन्य तकनीकी और प्रबन्धकीय सेवायें प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से किया गया था।

कम्पनी राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों के गाँवों में दुग्ध संकलन केन्द्रों के माध्यम से सदस्याओं से सीधे दूध खरीद कर डेयरियों को बेचती है। कम्पनी घी, खनिज मिश्रण, आहर संतुलन, पशुओं के चारे का भी व्यवसाय करती है।

ब. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैः

1. लेखांकन का आधारः

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जा सके और निर्माता कंपनियों (11 फरवरी 2021 से प्रभावी) अधिनियम के अध्याय XXIA में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का पालन किया जा सके। अधिनियम की धारा 465 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान एक निर्माता कंपनी पर इस तरह से लागू किए गए थे जैसे कि निर्माता कंपनियों के लिए विशेष अधिनियम, 1956 को निरस्त नहीं किया गया है। उक्त प्रावधानों को कंपनी संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा अधिनियम के अध्याय XXIA के सम्मिलन के बाद 11.02.2021 से प्रभावी कर दिया गया है। कम्पनी के वित्तीय विवरण लेखांकन के उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियों का सदैव पालन किया गया है।

2. अनुमानों का उपयोग :

भारतीय जीएएपी के अनुसार सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधकों को संपत्तियों एवं दायित्वों (आकस्मिक दायित्वों सहित) तथा वर्ष के दौरान बताई गई आय व व्ययों की राशि के लिए लिए अनुमान एवं परिकल्पनाओं का प्रयोग करना होता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयोग किये विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के भावी परिणाम भिन्न हो सकते है और इस प्रकार वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को उसी अवधि में चिन्हित किया जाता है जिसमें वे ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं।

3. स्टॉक का मूल्यांकनः

स्टॉक का मूल्यांकन अप्रचलित एवं अन्य क्षतियों (जहां भी आवश्यक लगे) को छोडकर न्यूनतम एवं शुद्ध वसूलने योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत का निर्धारण पहले आये–पहले जाये (FIFO) पद्धति के आधार पर किया जाता है। लागत में स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान एवं दशा में लाने के लिए होने वाले सभी खर्चों को शामिल कर किया जाता है। छोटे उपकरण, रसायन तथा उपभोग्य सामग्री को खरीदने पर उन्हें उपभोग के अंतर्गत माना जाता है।

4. रोकड प्रवाह विवरणः

रोकड प्रवाह, लेखा मानक (AS-3) में रोकड प्रवाह के बारे में उल्लेखित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है जिससे विशेष मदों से पूर्व लाभ/(हानि) एवं कर का समायोजन गैर–नकदी लेनदेनों तथा कोई भी गत अथवा भावी आस्थगित या उपार्जन रोकड प्राप्तियों या भुगतानों के प्रभावों के लिए किया जाता है।

कम्पनी के परिचालन, विनियोग और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह का बंटवारा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया जाता है।

रोकड प्रवाह के प्रयोजन से रोकड में हस्तगत रोकड तथा बैंक में मांग जमायें सम्मिलित है।

रोकड तुल्य अल्पकालीन शेष (प्राप्ति की तिथि से 3 माह या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल विनियोग जिन्हें कभी भी नकदी में परिवर्तित किया जा सकता हैं और जिनके मूल्यों में परिवर्तन की संभावना नगण्य है।

5. आय की पहचानः

बिक्री में से बिक्री वापसी का समायोजन करके तथा व्यापारिक बट्टे माल के स्वामित्व जैसी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कार के हस्तांतरण को ग्राहकों को हस्तांतरित किया जाता है जो कि आमतौर पर ग्राहकों द्वारा/माल की सुपुर्दगी एवं स्वीकृति से मेल खाते है।

6. अन्य आयः

जमाओं पर ब्याज की आय और सदस्यों से प्रवेश शुल्क को उपार्जित आधार पर चिन्हित किया गया है।

7. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (पीपीई) का लेखांकन

अ) मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त संपत्तियों में से संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन तथा स्थायी क्षति अगर कोई हो तो उसे घटा कर पुस्तकों में दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों की लागत में उसके खरीद मूल्य में किसी भी व्यावसायिक बट्टे एवं छूट, अन्य कर (उन करों को छोडकर जो कर अधिकारियों से प्राप्त किये जाने है), आवश्यक प्रयोजन के लिए संपत्ति को कार्यशील स्थिति में लाने हेतु होने वाले अन्य कोई भी प्रत्यक्ष व्यय एवं अन्य कोई भी आकस्मिक व्यय एवं इस संपत्ति की खरीद हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज व उस तिथी तक के संयंत्र एवं उपकरण जिस तारीख तक वह संपत्ति प्रायोजित प्रयोग के लिए तैयार हुई है, के समायोजन के पश्चात किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के बाद उस पर होने वाले व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जायेगा जब इस तरह के खर्च से ऐसी संपत्ति के भविष्य के लाभ में निर्धारित मानक निष्पादकता से भी अधिक वृद्धि होती है।

ब) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्यः

ऐसी संपत्तियों जिन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें प्रत्यक्ष लागत और उससे संबंधित आकस्मिक व्यय और लागू होने वाला ब्याज शामिल है।

स) मूल्य ह्रास एवं परिशोधनः

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त संपत्तियों पर मूल्य ह्रास सीधी रेखा पद्धति से संपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के अनुसार संपत्ति की प्रकृति, प्रबन्धकों द्वारा अनुमानित सम्पत्ति का उपयोगी जीवनकाल, सम्पत्ति की चालू स्थिति, प्रतिस्थापन का इतिहास, अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी आश्वासन एवं रखरखाव सहयोग आदि के आधार पर किया जाता है।

मूल्य–ह्रास लगाने के लिए उपयोगी जीवन निम्न प्रकार हैः–

विवरण	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
प्लांट एवं मशीनरी	10
दूध के कैन	4
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15
ऑफिस उपकरण	10
कम्प्यूटर्स एवं प्रिंटर्स	3
अमूर्त संपत्तियां	3

मूल्य ह्रास का आंकलन खरीद की तिथी से आनुपातिक आधार पर किया गया है।

8. अनुदान का लेखांकनः

सरकारी अनुदान एवं रियायत को तब मान्यता दी जाती है जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ जुडी हुई शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य–ह्रास संबधित स्थायी सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान की तरह माना जाता हैं तथा उसे संपत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य हास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य हास राशि को कम करते हुये लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा संबंधित खर्चो की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता हैं।

9. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी तथा क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

अ. निर्धारित योगदान योजनायें

भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खातों में दर्शाया जाता है।

ब. निर्धारित लाभ योजनायें

गेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्यूटी को चिट्ठे की तिथि को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढोतरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ – हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

स. अल्प–कालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई है। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है, जो कि कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की सभांवना है।

द. दीर्घ–कालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

10. लीज़ का लेखांकन –

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनायें उस सम्पत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालन लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

11. प्रति शेयर आय –

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण, कर के पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर लेखांकन मानकों (AS-20) के अनुसार किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर के पश्चात के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित समता अंशो की संख्या (एन्टी डायल्यूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

12. आय पर कर के लिए लेखांकन –

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है। स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर गैर–शोषित–मूल्य ह्रास एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर यह मानते हुऐ भविष्य में प्राप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर–शोषित–मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती है तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। आस्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

13. परिसंपत्तियों की क्षति से हानि –

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व–बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा। संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खातें में आय के रूप में माना जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां –

प्रावधान की पहचान उन देयताओं के लिए की जाती है, जिन्हें केवल अनुमान की पर्याप्त डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है –

i. पूर्वकालिक घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का वर्तमान दायित्व उत्पन्न होता है।

ii. संभावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्त्रोतों का बर्हिगमन होगा।

iii. दायित्व की राशि का अनुमान लगाया जा सकता है।

iv. किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में प्रतिपूर्ति की मान्यता तभी दी जाती है जब यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी।

आकस्मिक देयता तभी दर्शाई जाती है –

क) एक वर्तमान दायित्व एक अतीत की घटना से उत्पन्न हो रहा है, जब यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक हो जाए।

ख) एक संभावित दायित्व, जब तक कि संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना दूरस्थ न हो, आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही दर्शाई जाती हैं।

15. संचालन चक्र –

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में बसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

16. सामान्य –

लेखांकन नीतियाँ आम तौर पर स्वीकार की गई हैं लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और लगातार लागू की गई हैं।

स. वित्तीय विवरणों के नोट्सः

अंशधारकों का कोषः

नोट संख्या 1ः अंश पूंजी **(राशि रूपयों मे)**

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अधिकृत अंश पूंजी प्रति अंश 100 रूपये के 1000000 (पिछले साल 500,000) समता अंश	1000,00,000	500,00,000
निर्गमित, सब्सक्राईब एवं चुकता अंश पूंजी पूर्ण प्रदत्त 100 रूपये मूल्य के 453163 (पिछले साल 269828) समता अंश	453,16,300	269,82,800
	453,16,300	**269,82,800**

नोट्सः

i. **अंशों से संबंधित अधिकार, प्राथमिकतायें एवं प्रतिबंध**

कंपनी के पास 100 रूपये अंकित मूल्य के एक ही श्रेणी के अंश हैं। कंपनी अंतर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य को आवश्यक शर्तें पूर्ण करने पर एक वोट का अधिकार है। सदस्य कंपनी अंतर्नियमों के अनुसार सीमित आय (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।

कंपनी के परिसमापन की दशा में, समता अंशधारकों को अधिकार होगा कि वे संपूर्ण अधिमानी राशियों के वितरण के बाद शेष संपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ii. **बकाया समता अंशों की संख्या का मिलानः**

विवरण	2020–21	2019–20
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	2,69,828	1,10,301
(+)वर्ष के दौरान जारी अंश (निरस्त और पुनः जारी किये गये अंशों के समायोजन के बाद)	1,83,335	1,59,527
(-)वर्ष दौरान वापस खरीदे गये अंश	–	–
वर्ष के अंत में बकाया अंश	**4,53,163**	**2,69,828**

iii. कंपनी, कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IX-A के अंतर्गत एक उत्पादक कंपनी के रूप में पंजीकृत है और कंपनी के किसी भी सदस्य के पास 5% से अधिक अंश पूंजी नही है।

नोट संख्या 2 : संचित एवं अधिशेष **(राशि रूपयों मे)**

विवरण	31.03.2021 कों	31.03.2020 को
अ) सामान्य संचय		
प्रारम्भिक शेष	472,63,375	158,85,389
जोड़ेंः वर्ष के दौरान अधिशेष से हस्तांतरण *	68,39,600	313,77,986
अंतिम शेष	**541,02,975**	**472,63,375**
ब) अधिशेष		
प्रारम्भिक शेष	21,58,624	10,63,790
(+)कर के बाद लाभ हानि विवरण से हस्तांतरिक शुद्ध लाभ	104,64,904	335,36,610
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	126,23,528	346,00,400
(-) 31 मार्च 2020 को सदस्यों को अंतिम सीमित प्रतिफल (लाभांश) (8 रूपये प्रति अंश)	21,58,624	–
(-) 31 मार्च 2019 को सदस्यों को अंतिम सीमित प्रतिफल (लाभांश) (8 रूपये प्रति अंश)	–	8,82,408
(-) उपरोक्त सीमित प्रतिफल (लाभांश) पर कर (लाभांश वितरण कर)	–	1,81,382
(-) सामान्य संचय में हस्तांतरित*	68,39,600	313,77,986
अंतिम शेष	**36,25,304**	**21,58,624**
योग	**577,28,279**	**494,21,999**

कंपनी अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.10 में वर्णित प्रावधानों सपठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZI के अनुसार निदेशक मण्डल ने रूपये 68,39,600/– रूपये (पिछले साल रूपये 3,13,77,986/–) की राशि को सामान्य संचय में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया है।

निदेशकों ने अपनी 31.08.2021 की बैठक में 31.03.2021 को समाप्त वर्ष को सीमित प्रतिफल (लाभांश) के संदर्भ में पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर 36,25,304/– रूपये (8 रूपये प्रति अंश) की राशि के भुगतान का प्रस्ताव रखा है। जो कि अंशधारकों द्वारा वार्षिक आम सभा में लाभांश अनुमोदन करने पर निर्भर करेगा और इसे लेखा मानक–4 के अनुसार 'चिट्ठे की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिक घटनाओं' 31.03.2021 को वित्तीय विवरणों में दायित्व के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। प्रस्तावित लाभांश पूरी तरह से भुगतान किए गए समता अंशों के सभी धारकों को देय है।

नोट संख्या 3 : आस्थगित अनुदान (राशि रूपयों मे)

विवरण		31.03.2021 कों	31.03.2020 को
प्रारम्भिक शेष		516,98,934	449,91,668
(+) अवधि के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान	(नोट 32 देखें)	319,32,373	136,08,915
(-) अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री/वसूली का प्रभाव		12,572	17,040
(-) अनुमति नहीं दिये गये अनुदान का प्रभाव	(नोट 32 देखें)	.	2,00,787
(+)उपरोक्त अनुमति नही दिये गये अनुदान पर लागु होने वाल मूल्य ह्रास का प्रभाव	(नोट 10 देखें)	.	18,255
(-) पूंजीगत अनुदान से खरीदे गये पीपीई पर मूल्य ह्रास	(नोट 10 देखें)	98,30,992	67,02,077
अंतिम शेष		**737,87,744**	**516,98,934**

<u>गैर चालू दायित्व</u>

नोट संख्या 4 : अन्य दीर्घकालीन दायित्व (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
सहायक एवं अन्य से जमा प्रतिभूति	194,43,940	118,43,900
योग	**194,43,940**	**118,43,900**

नोट संख्या 5 : दीर्घकालीन प्रावधान (राशि रूपयों में)

विवरण			31.03.2021 को	31.03.2020 को
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	**2020–21**	**2019–20**		
i) ग्रेच्युटी	11,55,257	6,64,406		
घटायें: एलआईसी को किया गया भुगतान	6,64,406	–		
घटायें: अल्पकालीन प्रावधानों में हस्तांतरण (नोट संख्या 9 देखें)	21,241	12,216	4,69,610	6,52,190
(ii) लीव इनकेशमेंट	16,05,426	9,56,181		
घटायें : अल्पकालीन प्रावधानों में हस्तांतरण (नोट संख्या 9 देखें)	60,240	35,733	15,45,186	9,20,448
योग			**20,14,796**	**15,72,638**

***लेखा मानक 29 की अनुपालना में प्रावधानों में परिवर्तन** (राशि रूपयों में)

विवरण	2020–21		2019–20	
	ग्रेच्युटी	लीव इनकेशमेंट	ग्रेच्युटी	लीव इनकेशमेंट
प्रारम्भिक शेष	6,64,406	9,56,181	3,24,858	5,01,798
जोडियें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	5,65,962	7,17,809	3,93,318	5,52,051
योग	**12,30,368**	**16,73,990**	**7,18,176**	**10,53,849**
घटाईयः वर्ष के दौरान किये गये भुगतान	75,111	68,564	53,770	97,668
अंतिम शेष	**11,55,257**	**16,05,426**	**6,64,406**	**9,56,181**

चालू दायित्व

नोट संख्या 6 : अल्पकालीन ऋण (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
बैंक से असुरक्षित ऋण		
- कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड की बिक्री बिल बट्टाकरण सुविधा * (अधिकतम प्रयोग 90 दिन और ब्याज 6.95 प्रतिशत)	2257,87,777	941,70,133
योग	**2257,87,777**	**941,70,133**

*उपरोक्त असुरक्षित ऋण की सुविधा बिना शर्त कंपनी के थोक दुग्ध क्रेताओं द्वारा माल के व्यावसायिक बिक्रय बिलों बिल ऑफ एक्सचेंज की स्वीकृति से समर्थित एवं सुरक्षित है। (नोट संख्या 14 भी देखें "व्यावसयिक प्राप्य")

नोट संख्या 7 : व्यावसायिक देयतायें (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
माल व सेवाओं की व्यावसायिक देयताय	.	.
सूक्ष्म व लघु उद्यमों को देय *		
अन्य	684,96,908	525,46,526
योग	**684,96,908**	**525,46,526**

*प्रबन्धन के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act.) के अंतर्गत उनकी स्थिति के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता (MSMED Act.) में पंजीकृत नही है इसलिए कंपनी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोई भी राशि देय नही है।

नोट संख्या 8 : अन्य चालू दायित्व (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
देय खर्चे	180,10,276	107,60,271
अदत्त / अन्य दायित्व	25,31,199	15,52,660
वैधानिक दायित्व	15,32,493	10,61,109
ग्राहकों से अग्रिम	32,17,122	6,67,920
पूंजीगत माल के लिए देय	117,81,254	118,44,949
सदस्यों द्वारा अंशों के समर्पण के बदले देय *	2,61,600	12,57,700
योग	**373,33,944**	**271,44,609**

*कंपनी के निदेशक मण्डल ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZD के अनुसार कुछ विशेष अंशधारकों को निर्देश दिये हैं कि वे अपनं समता अंशों को समर्पित करें क्योंकि वे कंपनी अंतर्नियमों में उल्लेखित कंपनी के सदस्यों के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार 2,616 अंश (पूर्व वर्ष 12,577 अंश) कंपनी को इनके अंकित मूल्य रूपये 100 प्रति अंश पर समर्पित किये गये हैं और इन अंशों को दूसरे योग्य सदस्यों को उसी मूल्य पर पुनः जारी किया गया है।

नोट संख्या 9 : अल्पकालीन प्रावधान (राशि रूपयों में)

विवरण			31.03.2021 को	31.03.2020 को
कर्ममचारी लाभों के लिए प्रावधान (नोट संख्या 5 से लाये गये)				
i. ग्रेच्युटी			21,241	12,216
ii. लीव इनकेशमेंट			60,240	35,733
	2020.21	**2019.20**		
iii. कर के लिए प्रावधान* (नोट नं. 9(i) देखें	40,00,000	100,30,000		
घटायेंः अग्रिम कर एवं कोन्ट्रा के अनुसार टीडीएस	40,00,000	45,74,533	.	54,55,467
योग			**81,481**	**55,03,416**

***लेखा मानक 29 की अनुपालना में प्रावधानों में परिवर्तन** (राशि रूपयों में)

विवरण	आयकर	
प्रारम्भिक शेष	100,30,000	32,10,000
जोडेंः अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	43,55,032	100,30,000
योग	**143,85,032**	**132,40,000**
घटायेंः अवधि के दौरान अपलिखित किये गये प्रावधान	.	1,204
घटायेंः अवधि के दौरान किये गये भुगतान/समायोजन	103,85,032	32,08,796
अंतिम शेष	**40,00,000**	**100,30,000**

नोट नंबर 9 (i): चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के अटल प्रावधानों का चयन करने का फैसला किया है और तदनुसार नई कर दर/व्यवस्था के अनुसार कर के लिए प्रावधान की गणना की गई है। पिछले वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कर के प्रावधान का हिसाव आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार उपलब्ध मैट क्रेडिट पात्रता 27,07,828 रुपये पर विचार करने के बाद किया गया था। पिछले वर्ष तक पुस्तकों में मैट क्रेडिट पात्रता का कोई लेखा–जोखा नहीं था।

गैर–चालू संपत्तियां:

नोट संख्या 10: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(राशि रूपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2020 को शेष	वृद्धि	कटौती)/ समायोजन	31.03.2021 को शेष	01.04.2020 को शेष	वर्ष के दौरान	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2021 को शेष	31.03.2021 को शेष	31.03.2020 को शेष
(I) मूर्त संपत्तियां										
प्लांट एवं मशीनरी	521,12,043	371,68,979	(62,068)	892,18,954	122,30,967	89,98,386	(49,496)	211,79,857	680,39,097	398,81,077
फर्नीचर एवं फिटिंग	16,63,347	21,26,952	-	37,90,299	2,05,029	1,49,862	-	3,54,892	34,35,407.72	14,58,318
कार्यालय उपकरण	7,66,251	5,79,015	-	13,45,266	1,29,169	80,994	-	2,10,163	11,35,102.56	6,37,081
कम्प्यूटर्स	27,34,223	15,70,664	-	43,04,887	16,44,113	6,20,545	-	22,64,658	20,40,229	10,90,110
कुल मूर्त संपत्तियां (I)	**572,75,864**	**414,45,610**	**(62,068)**	**986,59,406**	**142,09,278**	**98,49,788**	**(49,496)**	**240,09,570**	**746,49,836**	**430,66,586**
II) अमूर्त संपत्तियां :										
अमूर्त संपत्तियां	93,099	13,30,607	-	14,23,706	63,047	2,11,095	-	2,74,142	11,49,564	30,052
कुल अमूर्त संपत्तियां (Ii)	**93,099**	**13,30,607**	**-**	**14,23,706**	**63,047**	**2,11,095**	**-**	**2,74,142**	**11,49,564**	**30,052**
III) प्रगतिशील कार्य में पूंजी :										
मूर्त संपत्तियां										
समंक प्रसंस्करण दुग्ध संकलन इकाई	17,79,065	183,46,967	(201,26,032)	-	-	-	-	-	-	17,79,065
समंक प्रसंस्करण दुग्ध संकलन इकाई	63,60,000	-	(63,60,000)	-	-	-	-	-	-	63,60,000
आरएमआरडी डॉक ऑटोमेशन	9,16,520	-	(9,16,520)	-	-	-	-	-	-	9,16,520
स्वचालित दुग्ध संकलन इकाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लोगो – अभी ट्रेडमार्क करवाया जाना है	59,000	-	(59,000)	-	-	-	-	-	-	59,000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रगतिशील कार्य में कुल पूंजी (III)	**91,14,585**	**183,46,967**	**(274,61,552)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**91,14,585**

योग (I+II+III)	**664,83,548**	**611,23,184**	**(275,23,620)**	**1000,83,112**	**142,72,325**	**100,60,882**	**(49,496)**	**242,83,711**	**757,99,400**	**522,11,223**
गत वर्ष	**525,75,296**	**181,44,330**	**(42,36,078)**	**664,83,548**	**75,24,628**	**67,53,161**	**(5,463)**	**142,72,326**	**522,11,222**	**450,50,668**

नोट (i) : मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय **(राशि रूपयों में)**

विवरण		2020–21	2019–20
मूर्त संपत्तियां		98,49,788	67,33,355
अमूर्त संपत्तियां		2,11,095	19,806
कुल मूल्य ह्रास		**100,60,882**	**67,53,161**
जोडें: अनुमति नही दिये गये अनुदान पर लगने वाले मूल्य ह्रास का समायोजन	(नोट 3 देखें)	-	18,255
अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों से जुडा मूल्य ह्रास	(नोट 3 देखें)	98,30,992	67,02,077
लाभ–हानि खाते में वसूल किया गया मूल्य ह्रास		**2,29,890**	**69,339**

नोट (ii) : पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई एवं उपरोक्त अनुसूची में सम्मिलित संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है (नोट संख्या 32 देखें) (राशि रूपयों में)

संपत्तियां	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2020 को शेष	वृद्धि	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2021 को शेष	01.04.2020 को शेष	वर्ष के दौरान	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2021 को शेष	31.03.2021 को शेष	31.03.2020 को शेष
मूर्त संपत्तियां										
संयंत्र एवं मशीनरी	519,38,363	367,34,895	(62,068)	886,11,190	121,97,018	89,29,916	(49,496)	210,77,438	675,33,753	397,41,345
फर्नीचर एवं फिटिंग	16,07,798	21,26,952	.	37,34,750	2,01,953	1,46,344	.	3,48,298	33,86,453	14,05,845
कार्यालय उपकरण	7,40,073	4,71,167	.	12,11,240	1,26,092	78,064	.	2,04,156	10,07,083	6,13,980
कम्प्यूटर्स	24,67,003	7,44,518	.	32,11,521	16,14,875	4,79,453	.	20,94,328	.	.
अमूर्त संपत्तियां				.	.	.	.	. 2,60,263	11,17,193	8,52,128
अमूर्त संपत्तियां	93,099	9,10,427	.	10,03,526	63,047	1,97,215	.	.	. 7,43,263	.
				.	.	.	.	.	.	30,052
प्रगतिशील कार्य में पूंजी				.	.	.	.	.	.	.
मूर्त संपत्तियां	90,55,585	183,46,967	(274,02,552)	.	.	.	.	.	.	90,55,585
योग	**659,01,921**	**593,34,926**	**(274,64,620)**	**977,72,227**	**142,02,986**	**98,30,992**	**(49,496)**	**239,84,482**	**737,87,745**	**516,98,935**

*** अनुमति नही दिये गये अनुदान का समयोजन सम्मिलित है (नोट संख्या 32 देखें)**

नोट (iii): स्वयं के कोष से खरीदी गई एवं उपरोक्त अनुसूची में सम्मिलित संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है:

(राशि रूपयों में)

संपत्तियां	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2020 को शेष	वृद्धि	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2021 को शेष	01.04.2020 को शेष	वर्ष के दौरान	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2021 को शेष	31.03.2021 को शेष	31.03.2020 को शेष
मूर्त संपत्तियां										
संयंत्र एवं मशीनरी	1,73,680	4,34,084	.	6,07,764	33,949	68,471	.	1,02,419	5,05,345	1,39,731
फर्नीचर एवं फिटिंग	55,549	.	.	55,549	3,076	3,518	.	6,594	48,955	52,473
कार्यालय उपकरण	26,178	1,07,848	.	1,34,026	3,077	2,930	.	6,007	1,28,019	23,101
कम्प्यूटर्स	2,67,220	8,26,146	.	10,93,366	29,238	1,41,092	.	1,70,330	9,23,036	2,37,982
अमूर्त संपत्तियां			.	.			.	.		
अमूर्त संपत्तियां	.	4,20,180	.	4,20,180	.	13,879	.	13,879	4,06,301	.
			.	.				.		
प्रगतिशील कार्य में पूंजी			.	.				.		
अमूर्त संपत्तियां			.	.				.		
लोगो – अभी ट्रेडमार्क करवाया		.		.	.	.	.	.	.	
जाना है	59,000		(59,000)							59,000
योग	**5,81,627**	**17,88,258**	**(59,000)**	**23,10,885**	**69,339**	**2,29,890**	**.**	**2,99,229**	**20,11,656**	**5,12,288**

***अनुमति नहीं दिये गये अनुदान का समायोजन (नोट संख्या 32 देखें)**

नोट संख्या 11 : अस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)

अस्थगित कर शेष के मुख्य तत्वः (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
अस्थगित कर दायित्व		
लेखांकन और कर मूल्य ह्रास में अंतर	51,470	5,463
कुल डीटीएल (I)	**51,470**	**5,463**
अस्थगित कर संपत्तियां		
ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	1,23,537	1,84,838
लीव इनकेशमेंट हेतु प्रावधान	4,04,054	2,66,010
अस्वीकृत प्रारम्भिक व्यय	—	9,228
कुल डीटीए (II)	**5,27,591**	**4,60,075**
अंतिम अस्थगित कर संपत्तियां / (दायित्व)	4,76,121	4,54,612
घटायें: प्रारम्भि आस्थगित कर संपत्तियां / (दायित्व)	4,54,612	2,32,460
लाभ हानि विवरण में वसूल / (जमा) किये गये शुद्ध आस्थगित कर व्यय	**(21,509)**	**(2,22,152)**

नोट संख्या 12 : दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम (राशि रूपयों में)

विवरण	31–03–2021 को	31–03–2020 को
असुरक्षित एवं उचित माने गये		
जमा प्रतिभूति	37,500	37,500
योग	**37,500**	**37,500**

नोट संख्या 13: स्टॉक (राशि रूपयों में

विवरण	31–03–2021 को	31–03–2020 को
व्यापार में स्टॉक		
– दुग्ध	18,31,159	12,57,667
– घी	96,23,412	–
– पशुओं का चारा व अन्य	38,59,095	11,14,755
स्टॉक इन ट्रांजिटः		
– दुग्ध	45,91,401	19,05,763
स्टॉक विद सप्लायर		
– अन्य (वीर्य)	40,00,000	–
योग	**239,05,067**	**42,78,184**

नोट संख्या 14: व्यावसायिक प्राप्य (राशि रूपयों में)

विवरण	31–03–2021 को	31–03–2020 को
असुरक्षित और उचित माने गये *		
बिल का भुगतान देय होने की तिथी से 6 माह से अधिक समय से बकाया देनदार	–	3,113
अन्य देनदार	3275,36,339	1603,52,540
योग	**3275,36,339**	**1603,55,653**

*व्यावसायिक प्राप्यों से जुड़ी बिल डिसकाउंटिग सुविधा हेतु नोट संख्या 6 देखें

नोट संख्या 15: रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31–03–2021 को	31–03–2020 को
(अ) हस्तगत रोकड़	–	–
(ब) बैंकों में जमा		
चालू खातों में	87,24,737	68,28,534
बचत खातों में	3,03,263	17,15,477
जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम)	213,00,482	19,08,461
(स) अन्य बैंक शेष		
जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 माह से अधिक)	472,89,016	840,85,000
योग	**776,17,498**	**945,37,472**

नोट संख्या 15 (i): अन्य बैंक शेषों में स्थायी जमा राशि रूपये 50,00,000/– (पिछला वर्ष – रूपये 1,00,25,000/–) शामिल है। अन्य बैंक शेष में वो जमायें शामिल हैं जिनकी परिपक्वता अवधि चिठ्ठे की तिथी से 12 माह है।

नोट संख्या 15 (ii): स्थायी जमा राशि रूपये 10,000/– (पिछला वर्ष – रूपये 10,000/–) को कृषि उपज मंडी को मंडी कर के तहत पंजीयन के लिए बंधक रखा गया है।

नोट संख्या 16: अल्पकानील ऋण एवं अग्रिम **(राशि रूपयों में)**

विवरण			31–03–2021 को	31–03–2020 को
असुरक्षित उचित माने गये	2020 – 2021	2019–2020		
स्रोत पर कर की कटौती				
स्त्रोत पर एकत्रित कर	3,50,486	1,79,533		
अग्रिम आयकर	31,591	–		
घटायें: कोन्ट्रा के अनुसार कर का प्रावधान	3760000	4395000	1,42,077	
सहायक की वसूली योग्य प्रोत्साहन राशि	4000000	4574533	6,19,841	1,33,792
धानी से प्राप्य अनुदान		(नोट संख्या 32 देखें)	283,90,381	109,33,835
योग			**291,52,298**	**110,67,627**

नोट संख्या 17: अन्य चालू संपत्तियां **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31–03–2021 को	31–03–2020 को
असुरक्षित उचित माने गये		
कर्मचारियों को अग्रिम	25,640	1,362
पूर्व–प्रदत्त व्यय	5,57,044	3,19,336
अन्य को अग्रिम	6,53,330	1,800
ब्याज अर्जित परन्तु देय नहीं (एफडीआर पर)	9,16,631	7,40,586
योग	**21,52,645**	**10,63,084**

नोट संख्या 18: परिचालन से आय **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31–03–2021 को	31–03–2020 को
उत्पादों की बिक्री		
कुल बिक्री (नीचे नोट (i) देखें)	16799,55,556	13767,26,200
घटायें: पुनर्खरीद के लिए तीसरे पक्ष को दूध की बिक्री* (कोन्ट्रा के अनुसार)	373,87,229	–
कुल बिक्री	**16425,68,327**	**13767,26,200**
*एक्स दूध के प्रसंस्करण के लिए तीसरे पक्ष को की गई बिक्री का प्रतिनिधित्व करता है जिसे ग्राहकों को बिक्री के लिए उनसे वापस खरीदा जाता है।		

(i) उत्पाद की बिक्री में शामिल हैः

विवरण	2020—21	2019—20
— दुग्ध	15590,98,503	13231,86,038
— घी	281,81,219	—
— पशुओं का चारा व अन्य	552,88,605	535,40,162
योग	**16425,68,327**	**13767,26,200**

नोट संख्या 19 : अन्य आय **(राशि रूपयों में)**

विवरण			31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
	चालू वर्ष 2020—2021	गत वर्ष 2019—2020	—	—
बैंक जमाओं पर ब्याज की आय	47,17,475	18,24,216		
घटायेंः अनुदान कोष पर अर्जित ब्याज नोट संख्या 32 को हस्तांतरित	43,372	89,494	46,74,103	17,34,722
स्थायी संपत्तियां के बिक्रय से लाभ			15,577	11,303
अन्य गैर—व्यावसायिक आय			—	—
सदस्यों से प्रवेश शुल्क			5,57,052	4,35,108
जुर्माना आय			16,18,834	8,66,463
स्क्रैप की बिक्री से आय			94,000	—
अन्य विविध आय			97,556	697
योग			**70,57,122**	**30,48,293**

नोट संख्या 20 : स्टॉक इन ट्रेड की खरीद एवं अन्य संबंधित व्यय **(राशि रूपयों में)**

विवरण			31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
सकल	2020—21	2019—20		
दूध	14083,33,606	11708,38,552		
घटायेंः दूध की पुनर्खरीद (कॉन्ट्रा के अनुसार) *	373,87,229		13709,46,377	11708,38,552
घी			324,23,971	
पशुओं का चारा और अन्य			574,11,582	506,97,554
अन्य संबंधित शुल्क			—	
दूध विक्रेताओं को विशेष प्रोत्साहन			101,72,289	68,37,230
योग			**14709,54,219**	**12283,73,336**

* नोट संख्या — 18 देखें

नोट संख्या 21 : व्यावसायिक व्यय **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
भरने एवं खाली करने के खर्चे	3,00,777	2,85,664
माल आवक खर्चे	501,43,600	256,03,287
सहायक प्रोत्साहन राशि	299,86,968	244,31,251
बीएमसी मजदूरी खर्चे	—	4,400
बीएमसी शीतलन व्यय	182,86,780	120,34,014
दुग्ध जांच व्यय	1,50,261	91,380
संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत का खर्च	33,68,818	30,63,261
रासायनिक और उपभोग्य सामग्री	20,72,794	10,58,826
योग	**1043,09,997**	**665,72,083**

नोट संख्या 22 : व्यवसाय में माल के स्टॉक में परिवर्तन **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
व्यवसाय में माल के स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	–	
प्रराम्भिक स्टॉक	42,78,184	45,65,053
घटायें: अंतिम स्टॉक	239,05,067	42,78,184
स्टॉक में शुद्ध कमी/(वृद्धि)	**(196,26,883)**	**2,86,869**

नोट संख्या 23 : कर्मचारी लाभ व्यय **(राशि रूपयों में)**

विवरण		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(अ) वेतन एवं प्रोत्साहन राशि		171,78,106	102,85,255
(ब) भविष्य निधि में योगदान		7,46,964	5,45,556
(स) कर्मचारी कल्याण व्यय		5,68,432	2,17,713
(द) लीव इनकेशमेंट	(नोट संख्या 5 व 29 देखें)	7,17,809	5,52,051
(य) ग्रेच्युटी	(नोट संख्या 5 व 29 देखें)	5,65,962	3,93,318
(र) कर्मचारियों को बोनस		6,33,993	4,51,927
योग		**204,11,266**	**124,45,820**

नोट संख्या 24 : वित्त लागत **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक शुल्क	24,145	7,381
टीडीएस पर ब्याज	1,277	2,553
जी,सटी पर ब्याज	2,838	8,596
बिल डिस्कांउंटिंग सुविधा पर ब्याज	84,74,856	53,91,864
योग	**85,03,117**	**54,10,394**

नोट संख्या 25 : अन्य व्यय **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अंकेक्षकों को भुगतान		
– वैधानिक अंकेक्षक	1,80,000	1,60,000
– अंकेक्षण शुल्क पर जीएसटी	32,400	28,800
– कर निर्धारण हेतु	19,470	14,160
– अन्य सेवायें	64,900	11,680
– खर्चो का भुगतान	1,558	2,483
विज्ञापन एवं विपणन व्यय	23,39,778	11,58,937
पेशेवर शुल्क	8,34,670	7,23,242
अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि हेतु आरओसी शुल्क	4,75,000	–
किराया	696000	72342
मुद्रण एवं स्टेशनरी व्यय	5,85,824	16,76,565
प्रशासन व्यय	1,86,182	3,93,606
सरकारी शुल्क	1,29,100	–

निदेशकों के बैठक शुल्क		21,240	16,520
निदेशकों का यात्रा भत्ता		12,390	16,520
कोरियर एवं डाक व्यय		1,949	5,264
टेलीफोन व्यय		13,51,457	6,41,312
अन्य मरम्मत व्यय		1,64,245	44,252
मीटिंग और उन्मुखीकरण व्यय		5,64,894	8,75,474
बिजली व्यय		1,38,319	1,18,730
यात्रा एवं वाहन व्यय		18,08,006	10,69,376
वाहन व्यय		17,78,337	13,64,827
बीमा व्यय		2,76,718	2,64,893
माल भेजने का व्यय		334,68,326	102,92,396
पानी खर्च		5,128	7,430
नेटवर्किंग व्यय एवं मोबाईल मैसेजिंग शुल्क		12,73,073	12,15,009
प्रशिक्षण व्यय		16,52,696	4,34,588
सदस्यता और सब्सक्रिप्शन शुल्क		11,800	1,48,208
उत्पादकता सेवा संबंधित व्यय (पीईएस)		10,97,924	2,37,732
अन्य व्यय	विस्तृत नोट संख्या 25(i) देख	8,74,031	15,19,935
योग		**500,45,415**	**230,57,406**

नोट संख्या 25(i) : अन्य व्यय **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वार्षिक आम सभा व्यय	96,620	2,89,052
पेंट्री व्यय	1,09,244	58,283
कार्यालय मरम्मत	4,06,668	7,50,701
वेईंग ब्रिज व्यय	1,77,580	1,29,980
अन्य विविध व्यय	83,919	2,91,919
योग	**8,74,031**	**15,19,935**

नोट संख्या 26 : पूर्व की अवधि के व्यय **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अ– पूर्व की अवधि के व्यय		
वित्तीय वर्ष 2018–19 का बोनस	–	4,41,005
योग (अ)	**–**	**4,41,005**
ब– गत अवधि की आय		
गत वर्ष में आय को गलती से अनुदान के खर्चों से समायोजित किया गया जिसमें सुधार कर लिया गया है।(नोट संख्या 32 देखें)	–	2,25,013
योग (ब)	**–**	**2,25,013**
योग (अ–ब)	**–**	**2,15,992**

नोट संख्या 27 : प्रति अंश आय **(राशि रूपयों में)**

विवरण	ठकाई	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
समता अंश धारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये	104,64,904	335,36,610
वर्ष के दौरान अदत्त भारित औसत समता अंशों की संख्या	संख्या	3,19,333	1,50,194
प्रति अंश न्यूनतम मूल्य	रूपये	100	100
प्रति अंश मूल आय	रूपये	32.77	223.29
प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयुक्त समता अंश	संख्या	3,22,342	1,50,631
प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये	32.47	222.64

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, वित्तीय विवरणों के नोट्स

28– 31–03–2021 को कोई भी आकस्मिक दायित्व नहीं है।

29– कर्मचारी लाभ योजना (लेखा मानक–15)

अ) परिभाषित अंशदान योजनायें

कंपनी अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि और फेमेली पेंशन निधि के रूप में परिभाषित अंशदान योजना प्रदान करती है। कर्मचारी भविष्य निधि और फैमिली पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी सम्मिलित हैं। कर्मचारी भविष्य निधि की राशि को क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कंपनी और कर्मचारी दोनों ही कर्मचारी भविष्य निधि और फैमिली पेंशन निधि में पूर्व निर्धारित अंशदान का भुगतान करते हैं। अंशदान सामान्यतया कर्मचारी के वेतन के निश्चित अनुपात पर आधारित हैं। कंपनी ने लाभ–हानि विवरण में इस वर्ष 7,46,964 रूपये (गत वर्ष 5,45,556 रू–) की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि और फेमेली पेंशन निधि अंशदान के रूप में दर्शाया है।

ब) परिभाषित लाभ योजनायें

कंपनी अपने कर्मचारियों को लीव इनकेशमेंट और ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित लाभ योजनायें प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजना के लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारी क्षतिपूर्ति (सेवानिवृति से तुरन्त पहले) पर निर्भर करते हैं। ऐसी योजना में सभी नियमित कर्मचारी सम्मिलित हैं। इसकी प्रतिबद्धताओं का निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। परिवर्तित वास्तविक अनुमानों के प्राप्तियों और क्षतियों को लाभ–हानि विवरण दिखाया जाता है।

निम्न तालिका परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत लीव इनकेशमेंट और ग्रेच्युटी और वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशि को दिखाती है।

राशि रूपयों में

विवरण	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	लीव इनकेशमेंट	ग्रेच्युटी	लीव इनकेशमेंट	ग्रेच्युटी
I– अनुमानः				
मृत्यु दर	IALM 2006&08 Ult.	IALM 2006&08 Ult.	IALM 2006&08 Ult.	IALM 2006&08 Ult.
बट्टा दर	6.80% p.a	6.80% p.a	6.80% p.a	6.80% p.a
क्षतिपूर्ति में वृद्धि की दर	7.00% p.a.	7.00% p.a.	7.00% p.a.	7.00% p.a.
प्लान संपत्तियों पर आय की दर (अपेक्षित) निकासी दर	–	–	–	–
अपेक्षित औसत शेष सेवा (वर्ष)	30.26	30.26	29.83	29.83
II– दायित्वों के वर्तमान मूल्यों में कमी (पीवीओ)				
शुरूआती अवधि में पीवीओ	9,56,181	6,64,406	5,01,798	3,24,858
ब्याज की लागत	65,020	45,180	34,122	22,090
वर्तमान सेवा दर	3,37,290	4,37,262	2,17,049	2,94,812
चुकाये गये लाभ	(68,564)	(75,111)	(97,668)	(53,770)
दायित्वों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	3,15,499	83,520	3,00,880	76,416
अवधि के समापन पर पीवीओ	**16,05,426**	**11,55,257**	**9,56,181**	**6,64,406**
III– चिट्ठे में चिन्हित की जाने वाली राशियां				
अवधि के समापन पर पीवीओ	16,05,426	11,55,257	9,56,181	6,64,406
अवधि के समापन पर प्लान संपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–
वित्त–पोषण की स्थिति	–	–	–	–
गैर–चिन्हित वास्तविक लाभ/(हानि)	–	–	–	–
कुल दायित्व/दायित्व	**16,05,426**	**11,55,257**	**9,56,181**	**6,64,406**
घटाएंः समूह ग्रेच्युटी योजना के तहत एलआईसी को भुगतान किया गया	–	6,64,406	–	–
चिट्ठे में चिन्हित शुद्ध दायित्व/(संपत्तियां)	**16,05,426**	**4,90,851**	**9,56,181**	**6,64,406**
* एलआईसी को भुगतान की गई राशि को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य माना गया है, एलआईसी से विवरण प्राप्त होने तक				
IV– लाभ–हानि विवरण में चिन्हित व्यय				
वर्तमान सेवा लागत	3,37,290	4,37,262	2,17,049	2,94,812
ब्याज की लागत	65,020	45,180	34,122	22,090
प्लान संपत्तियों पर अपेक्षित आय	–	–	–	–
अवधि के लिए चिन्हित शुद्ध वास्तविक लाभ/हानि	3,15,499	83,520	3,00,880	76,416
लाभ–हानि विवरण में चिन्हित व्यय	**7,17,809**	**5,65,962**	**5,52,051**	**3,93,318**
V– चिट्ठे में चिन्हित दायित्वों में परिवर्तन				
शुद्ध प्रारम्भिक दायित्व	9,56,181	6,64,406	5,01,798	3,24,858
उपरोक्तानुसार व्यय	7,17,809	5,65,962	5,52,051	3,93,318
चुकाये गये लाभ	(68,564)	(75,111)	(97,668)	(53,770)
शुद्ध अंतिम दायित्व	**16,05,426**	**11,55,257**	**9,56,181**	**6,64,406**

*** उपरोक्त दायित्व गैर–पोषित हैं।**

30– लेखा मानक 18– संबंधित पक्षकारों का प्रकटीकरणः

कंपनी ने उन सभी संबंधित पक्षकारों को चिन्हित कर लिया है जिनके साथ उक्त अवधि के दौरान लेन–देन हुए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः –

अ– सम्बन्धः

मुख्य प्रबंधन कर्मीः

– धर्मेंद्र कुमार	– मुख्य कार्यकारी और निदेशक
– रचना शर्मा	– निदेशक (31–12–2019 से पद त्याग)
– मंजू देवी	– निदेशक (09–11–2020 से पद त्याग)
– गीता बाई	– निदेशक (09–11–2020 से पद त्याग)
– जुल्फिना बानो	– निदेशक
– प्रियंका यादव	– निदेशक (31–12–2019 से पद त्याग)
– सीमा बाई जाट	– निदेशक (06–08–2019 से पद त्याग)
– मंजीत कौर	– निदेशक
– बलजिंदर सिंह	– निदेशक
– ब्रजेश नारायण सिंह	– निदेशक
– अंजना कुमारी	– निदेशक
– मुकेश देवी	– निदेशक (08–01–2020 से)
– सुनीता देवी	– निदेशक (08–01–2020 से)
– गीता देवी	– निदेशक (17–09–2019 से)
– हंसा कुमारी स्वामी	– निदेशक (13–11–2020 से)
– कौशल्या	– निदेशक (13–11–2020 से)
– सौरभ जैन	– कम्पनी सचिव

ब– उपरोक्त पक्षकारों के साथ लेनदेनों की प्रकृतिः

(राशि रूपयों में)

लेनदेनों की प्रकृति	2020–21	2019–20
प्रबन्धकीय पारिश्रमिक	19,61,010	16,43,616
बैठक शुल्क	18,000	14,000
खर्चों का भुगतान	1,26,557	1,24,932
दुग्ध की खरीदः 24093–81 लीटर (गत वर्ष 19288 लीटर)	8,89,922	9,20,989
पशु आहार की बिक्री एवं अन्य शुल्क	37,060	81,620

31– लीज व्यवस्था (लेखा मानक–19)

कंपनी ने कार्यालय भवन के लिए लीज व्यवस्था की है। कंपनी ने लीज किराया व्यय राशि रूपये 6,96,000 (गत वर्ष रूपये 5,01,568) को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया है।

लीज कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस और स्टोर के लिए 11 माह की अवधि के लिए की गई है और इसे किसी भी पक्षकार द्वारा 3 माह पूर्व लिखित सूचना देकर निरस्त किया जा सकता है।

भावी न्यूनतम लीज किराये का भुगतानः **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
एक वर्ष से बाद में देय नहीं	2,32,500	2,00,000
एक वर्ष बाद से देय लेकिन पांच साल के बाद में नहीं	–	–
पांच साल से बाद में देय	–	–

32– डेयरी हेल्थ एण्ड न्यूट्रीशन इनिसियेटिव इंडिया फाउण्डेशन (धानी) से प्राप्त/प्राप्य अनुदान के उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है – लेखा नीति सं– बी(8) देखें।

विवरण	2020–21		2019–20	
	विवरण	राशि रूपयों में	विवरण	राशि रूपयों में
प्रारम्भिक शेष		(109,33,835)		(107,52,823)
जोडें: अवधि के दौरान प्राप्त	290,00,000		259,78,200	
जोडें: अनुदान कोष पर प्राप्त ब्याज (अनुदान की	43,372	290,43,372	89,494	260,67,694
शर्तों के अनुसारा नोट सं– 19 में हस्तांतरित किया गया)		– 4,042		6,40,117
				11,809
घटायें: वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि				
घटायें: ब्याज पर टीडीएस				
घटायें: अवधि के दौरान उपयोग	319,32,373		105,38,970	
(i) पूंजीगत संपत्तियों के लिए (नोट सं– 3 देखें)	–	319,32,373	30,62,945	136,01,915
– आस्थगित अनुदान में ले जाये गये पीपीई				
– आस्थगित अनुदान में ले जायी गई स्थापित की जा रही संपत्तियां (CWIP)	76,64,545		72,98,800	
	68,98,957		46,71,839	
	–			
(ii) आयगत व्ययों के लिए (आयगत अनुदान)*		145,63,502	2,25,013	
– प्रजनन और न्यूट्रीशन सेवाओं संबंधित पीईएस व्ययों के लिए **		–		121,95,652
–अन्य आयगत व्ययों के लिए $				2,00,787
–गलती से 2016–17 के अनुदान के व्ययों से समायोजित आय (नोट 26 देखें				
–अनुदान की अनुमति नहीं होने का प्रभाव#				
बचे हुए अनुदान को नोट सं– 8 में ले जाया गया (प्राप्य अनुदान को नोट सं– 16 में ले जाया गया)		**(283,90,381)**		**(109,33,835)**

* अुनदान अनुमोदन पत्र के अनुसार अनुदान की राशि में से व्यय/घाटे की सीमा तक निकाली गई राशि।

उन संपत्ति, संयत्र एवं उपकरणों (पीपीई) को दर्शाता है जो गत वित्तीय वर्षों में अनुदान की राशि से खरीदे गये है, चूंकि इसके लिए धानी की अनुमति नही है। वर्ष के दौरान पीपीई में किये गये समायोजन तथा नोट सं– 10 में उल्लेखित मूल्य ह्रास जोकि राशि रूपये 18,255/– है, को पिछले वर्षों में आस्थगित अनुदान से वसूल किया गया है को बदलकर इस वर्ष लाभ–हानि विवरण में दर्शाया गया है। इसके अलावा पिछले वर्षों में लायी गई 2,00,787/– रूपये की आस्थगित अनुदान की राशि को बदलकर बची हुई (खर्च नही हुई) अनुदान की राशि को बढा दिया गया है।

**राशि में निम्नलिखित सम्मिलित है:

विवरण	2020–21	2019–2020
–वेतन खर्च	34,44,367	33,09,354
–पीईएस से जुडे व्यय	42,20,178	39,89,446
योग	**76,64,545**	**72,98,800**

**राशि में निम्नलिखित सम्मिलित है:

विवरण	2020–21	2019–20
बाहरी परिवहन व्यय चरण – II	–	5,04,009
उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम चरण – IV	1,90,815	–
गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम चरण – IV	2,77,775	–
ओरिएंटेशन प्रोग्राम – वीसीजी चरण – IV	2,62,500	–
ओरिएंटेशन प्रोग्राम – एमआरजी चरण – IV	1,05,000	–
बीएमसी / एमसीसी स्टाफ का प्रशिक्षण चरण – IV	24,000	–
सहायक अभिविन्यास कार्यक्रम चरण – IV	46,388	–
सहायक वजीफा चरण – IV	17,30,023	–
प्रशिक्षण और क्षमता चरण – III	4,68,680	3,530
जनशक्ति व्यय चरण – III	20,32,130	18,22,223
बाहरी परिवहन व्यय चरण – III		11,54,368
सहायक वजीफा चरण – III		5,31,215
मानव श्रम व्यय चरण – IV	4,19,644	2,49,288
फैसिलिटेटर यात्रा चरण – IV	1,24,005	55,797
अन्य व्यावसायिक व्यय जिन्हे एफयूसी में पूंजीगत व्ययों के रूप में लगाया गया	12,17,997	3,51,409
योग	**68,98,957**	**46,71,839**

नोटः पूंजीगत संपत्तियों की खरीद में प्रयोग की गई अनुदान की राशि को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है। आयगत अनुदान की राशि को लेखांकन नीति संख्या बी(8) के अनुसार संबंधित खर्चों से समायोजित किया गया है।

33– कंपनी दुग्ध और पशु–आहार के व्यवसाय में संलग्न है जिसे एकल व्यावसायिक क्षेत्र माना जाता है। कंपनी भारत के एक भौगोलिक क्षेत्र में संचालित है। लेखा मानक एएस–17 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण लागू नही है क्योंकि कंपनी केवल एक ही व्यवसाय और भौगोलिक क्षेत्र में संचालित है।

34– कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–III के अनुसार सभी संपत्तियों और दायित्वों को चालू और गैर–चालू के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ, इसकी गतिविधियां और कार्यान्वयन के आधार पर कंपनी ने अपने परिचालन चक्र को 12 माह से कम माना है। इसी अनुसार संपत्तियों और दायित्वों का वर्गीकरण चालू / गैर चालू के रूप में करने के लिए 12 माह की अवधि मानी गई है।

35– कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षकारों से नियमित अंतराल पर शेष / बकाया की पुष्टि करने के लिए एक निर्धारित प्रणाली है। बैंक खातों और बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण के संदर्भ में वर्तमान में कोई भी अपुष्ट शेष / बकाया नही है। जहां तक व्यावसायिक / अन्य प्राप्यों, व्यावसायिक / अन्य देयताओं एवं ऋणों तथा अग्रिमों का प्रश्न है उसके लिए पक्षकारों को अंकेक्षण के मानक (एसस) 505 (संशोधित) ''बाह्य पक्षकारों से पुष्टि'' हेतु नकारात्मक कथन के साथ भेजे गये है। ऐसें से कुछ शेष पुष्टि / मिलान करने पर निर्भर हैं जिसकों प्रबन्धकों की राय में कोई महत्वूपर्ण प्रभाव नही होगा।

36– कंपनी ने कोविड–19 महामारी से उत्पन्न होने वाली ज्ञात घटनाओं के संभावित प्रभावों और वित्तीय विवरणों की तैयारी में सरकारों द्वारा परिणामी लॉकडाउन और प्रतिबंधों पर विचार किया है, जिसमें कंपनी की तरलता और चिंता के आकलन तक सीमित नहीं है, इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्तियों, सूची और अन्य परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य शामिल हैं। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख के अनुसार अनुमान से अलग हो सकता है। जारी अनिश्चितताओं को देखते हुए, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन और उसकी वित्तीय स्थिति पर परिणामी प्रभाव की बारीकी से निगरानी जारी रखेगी।

37– अनुसूची–III में चाहे गये अन्य सभी प्रकटीकरण या तो शून्य हैं या लागु नही होते हैं।

38– गत अवधि की संख्याओं को आवश्यकतानुसार चालू वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटीकरण के संदर्भ में देखने के लिए पुनःसमुहित / वर्गीकृत किया गया है।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

(मनजीत कौर)
अध्यक्षा
DIN: 07674902

(धमेंन्द्र कुमार)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 07563916

(अंजना कुमारी)
निदेशक
DIN: 08157328

(सौरभ जैन)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं– 45759

(मयंक गोयल)
वित्त प्रमुख
सदस्यता संख्या 456058

स्थान :
दिनांक :

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते कालानी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 000722सी

कमलेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
सदस्यता सं– 416293

छठी वार्षिक आम सभा की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की छठी वार्षिक आम सभा मंगलवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को प्रातः 9:30 बजे रितुम्भरा रिसोर्ट, सरिस्का रोड़, अलवर पर निम्न कार्यो के लिये होगी–

1. 31 मार्च, 2021 को अंकेक्षित बैलेन्स शीट तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ–हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और उक्त संदर्भ में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना–

   "दिनांक 31 मार्च, 2021 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ–हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसूचियाँ और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का संकल्प पारित किया जाता है।

2. कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना –

   "संकल्प पारित किया गया कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 8/– प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/– वाले पूर्ण प्रदत्त 4,53,163 समता अंशो पर रू. 36,25,304 वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

3. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना –

   संकल्प पारित किया गया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो कम्पनी की निदेशक श्रीमती जुल्फीना बानो (DIN: 07476538) आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होती है और अपात्र होने के कारण पुनःनियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती है, श्रीमती पिंकी शर्मा (DIN 09312032) को उक्त रिक्त पद पर निदेशक नियुक्त किया जाता है जो कि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति होने के लिए उत्तरदायी है।

4. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना –

   संकल्प पारित किया गया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो कम्पनी की निदेशक श्रीमती अंजना कुमारी (DIN: 08157328) आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होती है और अपात्र होने के कारण पुनःनियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती है और श्रीमती सुनीता बाई (DIN 09312203) को उक्त रिक्त पद पर निदेशक नियुक्त किया जाता है जो कि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्ति होने के लिए उत्तरदायी है।

5. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना –

   संकल्प लिया गया कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139, 140 और अन्य लागू प्रावधानों यदि कोई हो तो उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार समय–समय पर संशोधित केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स, चार्टेड अकाउण्टेंट्स, नई दिल्ली,(फर्म पंजीकरण संख्या 4730N) को मौजूदा संविधान लेखा परीक्षकों मैसर्स कालानी एंड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जयपुर (फर्म पंजीकरण संख्या 000722C) जो इस वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होते हैं और जिन्होंने वार्षिक आम बैठक में अनिच्छा व्यक्त करते हुए एक पत्र दिया है के स्थान पर संविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में इस वार्षिक आम सभा के समापन से लेकर वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली दसवीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता है।

6. वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना –

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसा कि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद् द्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

7. कम्पनी के अंतर्नियमों में परिवर्तनों पर विचार और अनुमोदन करना और विशेष संकल्प के रूप में अगर सही माना जाए तो संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के निम्नलिखित संकल्प पारित करनाः

"संकल्प पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA से सम्बन्धित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR तथा अगर कोई है, कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के सहित इसकी धारा 31 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सके) और कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, विशेष प्रस्ताव द्वारा वर्तमान कम्पनी अंतर्नियमों को जहाँ तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता हैं–

अनुच्छेद 1.1 – जहां कहीं भी कम्पनी अधिनियम, 2013 में यह प्रावधान किया गया है कि कम्पनी के पास कोई अधिकार, विशेषाधिकार या प्राधिकार होगा यदि उसके लेखों द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, तो इस अनुच्छेद के आधार पर, कम्पनी इसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत, अधिकार या प्राधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, जैसा कि अधिनियम द्वारा इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान और या अलग अनुच्छेद प्रदान किए बिना अनुमति दी गई है।

अनुच्छेद 1.2 – अधिनियम की अनुसूची I में विनियम 45 से 47 को छोड़कर टेबल F में निहित विनियम कम्पनी पर लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 1.3 (i):– कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378A (I) के तहत कम्पनी एक निर्माता कम्पनी है।

अनुच्छेद 1.3 (ii):– कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA में निर्दिष्ट लोगों के अलावा कम्पनी अधिनियम, 2013 की सभी सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान, जो एक निजी कम्पनी पर लागू होंगे, कम्पनी पर लागू होंगे, और जैसे कि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है जहां तक वे अधिनियम के भाग XXIA के प्रावधानों के विरोध में नहीं हैं।

अनुच्छेद 1.3 (iii):–कम्पनी अधिनियम, 2013 और तदनुसार की धारा 378C (5) के तहत कम्पनी को एक निजी कम्पनी माना जाता है;

a. अपने शेयरों को इस तरह से और इसके बाद प्रदान की गई सीमा तक स्थानांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है; और

b. कम्पनी में किसी भी शेयर या डिबेंचर के लिए जनता को किसी भी निमंत्रण को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 2.1 (i):– 'अधिनियम' का अर्थ कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 18) या किसी भी वैधानिक संशोधन या उस समय के लिए फिर से लागू होना है।

अनुच्छेद 2.1 (vii):– 'कम्पनी' का अर्थ है सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड।

अनुच्छेद 2.1 (viiia):– "विशेषज्ञ निदेशक" का अर्थ अधिनियम की धारा 378P में निर्दिष्ट निदेशक से है;

अनुच्छेद 2.1 (ix):– "वित्तीय वर्ष" का अर्थ है हर साल मार्च के 31 वें दिन समाप्त होने वाली अवधि जिसके संबंध में कम्पनी का वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है।

अनुच्छेद 2.1 (xiii):– 'पारस्परिक सहायता सिद्धांत' का अर्थ है अधिनियम के अध्याय XXIA में निर्धारित सिद्धांत, और जैसा कि अनुच्छेद 3 में प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 6.8:– कम्पनी अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार अपने स्वयं के समता अंश खरीद सकती है।

अनुच्छेद 7:– समता अंशों का हस्तांतरण

कोई सदस्य बोर्ड की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद अपने/उसके शेयरों का पूरा या कुछ हिस्सा किसी सदस्य को हस्तांतरित कर सकता है।

अनुच्छेद 9.2:– कम्पनी के बोर्ड में कम से कम पांच और पंद्रह से अधिक निदेशक नहीं होंगे। बोर्ड एक या एक से अधिक विशेषज्ञ निदेशकों को सहयोजित कर सकता है, जो निदेशकों की कुल संख्या के पांचवें हिस्से से अधिक नहीं हो, ऐसी अवधि के लिए जो बोर्ड उचित समझे।

अनुच्छेद 9.17:– निदेशक बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में उपस्थिति के लिए यात्रा और होटल व्यय सहित ऐसे शुल्क और भत्तों के हकदार हो सकते हैं, यदि कोई हो, जो अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित किया गया हो, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

अनुच्छेद 9.18 (ii) k: – अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार एक नामांकन समिति का गठन करने के लिए, सामान्य बैठक में अनुमोदित परिभाषित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए और जैसा कि इसमें प्रदान किया गया है ये अनुच्छेद, और तदनुसार पात्र सदस्यों को इसके विचार के लिए बोर्ड को अनुशंसा करते हैं। बदले में बोर्ड, बोर्ड की बैठक में उचित विचार के बाद, वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड के पद के लिए सदस्यों की सिफारिश करेगा।

अनुच्छेद 11.12 (iii):– इस खंड को छोड़ दिया जाएगा।

अनुच्छेद 11.13:– सामान्य बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय की सभी मदों को सामान्य माना जाएगा और अधिनियम की धारा 102 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 19.1:– बोर्ड सील के लिए सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करेगा और कम्पनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में निहित प्रावधानों के अधीन, मुहर को किसी भी उपकरण पर नहीं लगाया जाएगा, सिवाय इसके कि पहले दिए गए प्राधिकरण द्वारा उस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत बोर्ड या बोर्ड की एक समिति; बोर्ड ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकता है जो कानून के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से प्रत्येक उपकरण पर हस्ताक्षर करेगा जिस पर उसकी उपस्थिति में मुहर लगाई गई है।"

अनुच्छेद 19.2:– इस खंड को छोड़ दिया जाएगा।

स्थान – अलवर

दिनांक –

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

धर्मेन्द्र कुमार

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

नोट्स –

1. कम्पनी को प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी COVID–19 संबंधित दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा तथा माननीय जिलाधिकारी द्वारा केवल 25 सदस्यों को एकत्र करने की अनुमति दी गई है। इसलिए, कम्पनी की सदस्या जो वार्षिक आम सभा (एजीएम) में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें वार्षिक आम बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कम्पनी को सूचित करना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मानदण्डों और अन्य सभी COVID–19 संबंधित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकें।

2. कोई भी सदस्या जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्या को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी की सदस्या होना आवश्यक है। गैर सदस्या को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नही किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रतिनिधि फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रतिनिधि फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।

3. सदस्याओं/प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत रूप से भरी गई उपस्थिति पर्ची अपने साथ लावें।

4. सभी संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेजों को सामान्य व्यावसायिक घंटों (प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक) के दौरान शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्याओं द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

5. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति लाएं क्योंकि कम्पनी वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।

6. सदस्या जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा की दिनांक से 7 दिन पहले लिखित रूप से सूचित करे।

7. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।

8. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।

9. वार्षिक आम सभा स्थल पर हथियार, गोला–बारूद, चाकू व ब्लेड, आदि लाना प्रतिबंधित हैं।

10. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 (1) के तहत बैठक में किए जाने वाले विशेष कार्य से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं।
11. वार्षिक आम सभा स्थल पर आसानी से पहुंचने के लिए एक रूट मैप वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।
12. 9 नवंबर 2020 को हुई पिछली वार्षिक आम सभा के कार्यवृत्त अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नक – I

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की पाँचवी वार्षिक आम बैठक सोमवार, 9 नवम्बर 2020 को दोपहर 1.15 बजे रितुंभरा रिसोर्ट, सरिस्का रोड, अलवर, राजस्थान–301001 में संपन्न हुई।

बैठक में उपस्थित सदस्य –

1.	श्रीमती मनजीत कौर	:	अध्यक्षा और अंशधारक
2.	श्रीमती जुल्फीना बानो	:	निदेशक और अंशधारक
3.	श्रीमती गीता बाई	:	निदेशक और अंशधारक
4.	श्रीमती मंजू देवी	:	निदेशक और अंशधारक
5.	श्रीमती अंजना कुमारी	:	निदेशक और अंशधारक
6.	श्रीमती गीता देवी	:	निदेशक और अंशधारक
7.	श्रीमती सुनीता देवी	:	निदेशक और अंशधारक
8.	श्रीमती मुकेश देवी	:	निदेशक और अंशधारक
9.	श्री बलजिंदर सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
10.	श्री ब्रजेश नारायण सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
11.	श्री धर्मेंद्र कुमार	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
12.	श्री सौरभ जैन	:	कम्पनी सचिव

74 शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से जिनके पास 3942 समता अंश और 12386 शेयरधारक जिनके पास 182364 समता अंश थे प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 74 व्यक्ति जिनके पास 1,86,306 शेयर थे, सभा में उपस्थित थे।

क. श्रीमती मनजीत कौर ने बैठक की अध्यक्षता ली।

ख. कम्पनी सचिव, श्री सौरभ जैन ने कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के संदर्भ में उपस्थित कोरम की घोषणा की।उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर और निदेशक की शेयरहोल्डिंग का रजिस्टर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। तत्पश्चात सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

ग. अध्यक्षा महोदय ने पाँचवीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया।

घ. उपस्थित सदस्यों की सर्व सम्मति से, पाँचवीं वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही सभी सदस्यों को वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।

च. तत्पश्चात, अध्यक्षा महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी के संचालन एवं गतिविधियों सम्बन्धी जानकारी दी। संबोधन समाप्त करने के बाद अध्यक्षा महोदय ने बैठक में पाँचवीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय का लेन–देन करने के निर्देश दिये।

तत्पश्चात, अध्यक्षा महोदय की सलाह पर, श्री सौरभ जैन, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारम्भ की।

1. 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि, खाता तथा उस अवधि की निदेशकों की रिपोर्ट व अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।

1.1 श्रीमती खामोश (फोलियो संख्या 10006) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित कियाः

संकल्प संख्या 01 / पांचवी वार्षिक आम सभाः 09.11.2020 / 2019–20

संकल्प किया गया कि दिनांक 31 मार्च 2020 को कम्पनी की अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ–हानि खाता, उसकी अनुसूचियाँ और नोट्स जो कि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया।

श्रीमती खामोश (फोलियो संख्या 7956) ने संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कम्पनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।

2.1 श्रीमती सर्वेश देवी (फोलियो संख्या 4806) ने निम्नलिखित संकल्प कों सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया–

संकल्प संख्या 02 / पांचवी वार्षिक आम सभाः 09.11.2020 / 2019–20

संकल्प किया गया कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रूपये 8 / – प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रूपये 100 / – वाले पूर्ण प्रदत्त 2,69,828 समता अंशों पर रूपये 21,58624 / – वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की गई और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जावेगा जिनका नाम 31 मार्च 2020 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

श्रीमती सुमन (फोलियो संख्या 11819) ने संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती मंजू देवी (DIN 08067920) के स्थान पर एक निदेशक पर विचार कर नियुक्त करना, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होती है और अपात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती है।

3.1 श्रीमती अन्नु देवी (फोलियो संख्या 6738) ने निम्नलिखित संकल्प कों सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया –

संकल्प संख्या 03 / पांचवी वार्षिक आम सभाः 09.11.2020 / 2019–20

"संकल्प पारित किया गया कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर तथा धारा 152 सहित कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधान यदि कोई हो के आधार पर श्रीमती मंजू देवी (DIN 08067920) जो कि एक निदेशक हैं तथा जो इस आम सभा में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत हो रही हैं, अपात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत नहीं कर रही है और परिणामी रिक्ति को कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा निदेशक पहचान संख्या (DIN) आवंटित करने की तारीख से निदेशक के रूप में श्रीमती कौशल्या को नियुक्त करके भरा जाएगा और जिनकी कार्यालय अवधि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती सुनीता देवी (फोलियो संख्या 4283) ने संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती गीता बाई (DIN: 07470371) जोकि इस आम सभा में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत हो रही हैं यदि योग्यताऐं पूरी करती हैं तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया–

4.1 श्रीमती सावित्री देवी (फोलियो संख्या 3807) ने निम्नलिखित संकल्प कों सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया

संकल्प संख्या 04/पांचवी वार्षिक आम सभाः 09.11.2020/2019–20

"संकल्प किया गया कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर तथा धारा 152 सहित कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधान यदि कोई हो के आधार पर श्रीमती गीता बाई (DIN: 07470371) जो कि एक निदेशक हैं तथा जो इस आम सभा में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत हो रही हैं, अपात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत नहीं कर रही है और परिणामी रिक्ति को कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा निदेशक पहचान संख्या (DIN) आवंटित करने की तारीख से निदेशक के रूप में श्रीमती हंसा कुमारी स्वामी को नियुक्त करके भरा जाएगा और जिनकी कार्यालय अवधि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती तीजा देवी (फोलियो संख्या 9940) ने संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्रीमती गीता देवी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार और नियुक्ति करना।

5.1 श्रीमती ममता देवी (फोलियो संख्या 7889) ने निम्नलिखित संकल्प कों सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया –

संकल्प संख्या 05/पांचवी वार्षिक आम सभाः 09.11.2020/2019–20

संकल्प पारित किया गया कि श्रीमती गीता देवी (DIN: 8565123) जिन्हें दिनांक 17.09.2019 से कम्पनी के निदेशक मण्डल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करती हैं, को एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। कम्पनी के निदेशक के रूप में, जिनकी कार्यालय अवधि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

श्रीमती शीला (फोलियो संख्या 473) ने संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. श्रीमती मुकेश देवी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार और नियुक्ति करना।

6.1 श्रीमती किरण देवी (फोलियो संख्या 17453) ने निम्नलिखित संकल्प कों सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया

संकल्प संख्या 06/पांचवी वार्षिक आम सभाः 09.11.2020/2019–20

संकल्प पारित किया गया कि श्रीमती मुकेश देवी (DIN: 08661947) जिन्हें दिनांक 08.01.2020 से कम्पनी के निदेशक मण्डल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करती हैं, को एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। कम्पनी के निदेशक के रूप में, जिनकी कार्यालय अवधि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

श्रीमती रेश्मा (फोलियो संख्या 17151) ने संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. श्रीमती सुनीता देवी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार और नियुक्ति करना।

7.1 श्रीमती आशा देवी (फोलियो संख्या 2624) ने निम्नलिखित संकल्प कों सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया

संकल्प संख्या 07/पांचवी वार्षिक आम सभाः 09.11.2020/2019–20

संकल्प पारित किया गया कि श्रीमती सुनीता देवी (DIN: 08661962) जिन्हें दिनांक 08.01.2020 से कम्पनी के निदेशक मण्डल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद धारण करती हैं, को एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है। कम्पनी के निदेशक के रूप में, जिनकी कार्यालय अवधि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

श्रीमती गुड्डी बाई (फोलियो संख्या 8472) ने संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निधारित करना।

8.1 श्रीमती सरोज (फोलियो संख्या 191) ने निम्नलिखित संकल्प कों सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया –

संकल्प संख्या 08 / पांचवी वार्षिक आम सभाः 09.11.2020 / 2019–20

संकल्प पारित किया गया कि मैसर्स कालानी एण्ड कम्पनी, जयपुर चार्टेड अकाउण्टैंट (फर्म पंजीकरण सं.000722C) को पारिश्रमिक रूपये 1,15,000/– (अक्षरे रूपये एक लाख पन्द्रह हजार) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस पाँचवीं वार्षिक आम सभा की समाप्ति से लेकर आगमी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।

श्रीमती सोमोती (फोलियो संख्या 6210) ने संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।

9.1 श्रीमती सुनीता (फोलियो संख्या 12598) ने निम्नलिखित संकल्प कों सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया –

संकल्प संख्या 09 / पांचवी वार्षिक आम सभाः 09.11.2020 / 2019–20

संकल्प परति किया गया कि कम्पनी के वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए बजट को वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है को एतद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

श्रीमती मीरा (फोलियो संख्या 6497) ने संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. कम्पनी के मुख्य उद्देश्यों में परिवर्तन पर विचार और अनुमोदन करना।

10.1 श्रीमती संजू देवी (फोलियो संख्या 5429) ने निम्नलिखित संकल्प कों सामान्य संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया –

संकल्प संख्या 10 / पांचवी वार्षिक आम सभाः 09.11.2020 / 2019–20

कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A के सम्बन्धित प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने बाले प्रावधानों सहित) के अनुसार कम्पनी के बहिर्नियम और अंतर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के बहिर्नियम के मौजूदा क्लॉज III A को बदलने के लिए कम्पनी के बहिर्नियमों के मौजूदा प्रावधानों को बिंदु 5 के रूप में नए उद्देश्यों का पालन करने और मौजूदा बिंदु 5 को नए बिंदु 6 के रूप में पुनः क्रमांकित करना।

5. प्राथमिक उत्पादों और उसके व्युत्पन्नों की खरीद, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार, आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय करना, जिसमें मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के खाद्य तेल, फल और सब्जियों तक सीमित नहीं हैं, उसी का विपणन करना और उससे संबंधित किसी भी गतिविधि का हिस्सा या उसके लिए आकस्मिक गतिविधियों से निपटना।

आगे संकल्प पारित किया गया कि इस संकल्प को प्रभावी रूप देने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल इस प्रस्ताव को पारित करने के संबंध में कोई प्रश्न या संदेह होता है तो निदेशक मण्डल अपने विवेक से तथा यदि आवश्यक हो समीचीन समझे तो उक्त समस्या से निपटने के लिए पूर्णतः अधिकृत है।

श्रीमती सविता यादव (फोलियो संख्या 16469) ने संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

11. कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।

11.1 श्रीमती सरोज कुमारी (फोलियो संख्या 19652) ने निम्नलिखित संकल्प कों विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया –

संकल्प संख्या 11/पांचवी वार्षिक आम सभाः 09.11.2020/2019–20

"संकल्प पारित किया जाता हैं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581-I, 581ZQ, 581ZR तथा अगर कोई हैं, तो कम्पनी अधिनियम के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के सहित इसकी धारा 16 व 94 (किसी के प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहां तक लागू हो सके) और कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, रू 100/– (एक सौ रूपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 5,00,000 (पाँच लाख) समता

अंश लाकर कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी को रू 100/–(एक सौ रूपये) प्रत्येक के 5,00,000 (पाँच लाख) समता अंशों में विभाजित रू 5 करोड़ (केवल रू. पाँच करोड) से बढ़ाकर 100/– (एक सौ रूपये) प्रत्येक के 10,00,000 (दस लाख) समता अशों में विभाजित रू 10 करोड़ (अक्षरे दस करोड़ रूपये) किया जाए।

संकल्प पारित किया जाता हैं कि कम्पनी के बहिर्नियमों में पुर्नख्यांकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI के द्वारा बदलाव किया जाता है।

" VI कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी रू. 10,00,00,000 (अक्षरे दस करोड़ रूपये) है, जो रू 100/– (एक सौ रूपये) प्रति शेयर के 10,00,000 (दस लाख) शेयरों मे विभाजित है।''

आगे संकल्प पारित किया गया कि इस संकल्प को प्रभावी रूप देने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल इस प्रस्ताव को पारित करने के संबंध में कोई प्रश्न या संदेह होता है तो निदेशक मण्डल अपने विवेक से तथा यदि आवश्यक हो समीचीन समझे तो उक्त समस्या से निपटने के लिए पूर्णतः अधिकृत है।

श्रीमती सुमन देवी (फोलियो संख्या 17669) ने संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

12. कम्पनी के अंतर्नियमों में परिवर्तन पर विचार करना और उसे मंजूरी देना।

12.1 श्रीमती सुमित्रा देवी (फोलियो संख्या 17863) ने निम्नलिखित संकल्प कों विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया–

संकल्प संख्या 12/पांचवी वार्षिक आम सभाः 09.11.2020/2019–20

"संकल्प पारित किया गया कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 581-I, 581ZQ, 581ZR तथा धारा 31 सहित कम्पनी अधिनियम 1956 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (किसी भीप्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने बाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सके) के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले वर्तमान कम्पनी अंतर्नियमों को जहाँ तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता हैं –

1. वर्तमान अनुच्छेद 9.5 i को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जायें; –

सदस्यों के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड में पदों की संख्या, जहां तक संभव हो, संबंधित वर्ग के संरक्षण पर आधारित होगी। हालाँकि, इस आवश्यकता को कम्पनी की सातवीं वार्षिक आम सभा तक माफ कर दिया गया है।

2. वर्तमान अनुच्छेद 9.6 ii को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जायें; –

बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, वार्षिक आम सभा में बोर्ड के किसी भी रिक्त पद पर नियुक्ति की जाएगी। हालांकि, यह प्रावधान कम्पनी की 7वीं वार्षिक आम सभा के बाद प्रचलन में आएगा और तब तक कम्पनी के बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर रिक्त पदों को भरा जाएगा।

3. वर्तमान अनुच्छेद 9.7 को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जायें: –

बोर्ड में रिक्तता को भरने के लिए या अन्यथा, बोर्ड आकस्मिक रिक्तता को भरने के लिए अतिरिक्त निदेशकों या निदेशक को सहयोजित (co-opt) कर सकता है बशर्ते है कि आकस्मिक रिक्तता को भरने के लिए चुने गए सदस्य ने कम से कम गत दो वित्तीय वर्षो के लिए सदस्यता मापदंडों को निरन्तर रूप से पूरा किया हो और अगर बोर्ड नियुक्ति के समय निर्णय लेता है, ऐसे अतिरिक्त निदेशकों या निदेशक को कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा या उसे कम अवधि के लिए कार्यभार संभालेगें। हालाकि, बोर्ड रिक्त पद को भरने के लिए ऐसे व्यक्ति को लगातार दो वित्तीय वर्षों में सहयोजित नही कर सकता है।

इसके अलावा, कम्पनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से 'कम से कम दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मानदंड' की आवश्यकता प्रभावी होगी।

4. वर्तमान अनुच्छेद 11.6 (1) (c) को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जाये।

किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो सदस्य न हो। प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त एक सदस्य, ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या तीन सौ से अधिक नही हो और उनकी कुल अंश पूंजी कम्पनी की अंश पूंजी से दस प्रतिशत से अधिक नही हो, की ओर से कार्य करेगा।

यह भी संकल्प पारित किया गया कि यह संकल्प पहले की सभी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देता है।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस संकल्प को निष्पादन करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती सुनीता (फोलियो संख्या:19261) ने संकल्प का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

13. सभा में लेनदेन करने के लिए अन्य कोई व्यवसाय नहीं होने के कारण अध्यक्षा महोदया के धन्यवाद देने के साथ सभा सम्पन्न हुई।

दिनांक　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　अध्यक्षा

व्याख्यात्मक विवरण –

निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण दिनांक 07–09–2021 की संलग्न सूचना के मद संख्या 5 और मद संख्या 7 के तहत व्यवसाय से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों को निर्धारित करती हैं।

मद संख्या – 5

कम्पनी के मौजूदा सांविधिक लेखा परीक्षक, मैसर्स कालानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जयपुर (फर्म पंजीकरण संख्या 000722C) जिन्हें 09.11.2020 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में एक वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी के

लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक के समापन पर सेवानिवृत्त होंगे, ने आगामी वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की है।

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने सेवानिवृत्त लेखा परीक्षकों के स्थान पर कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 4730N) के नाम की सिफारिश की है। इसके संदर्भ में मैसर्स केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स ने कम्पनी को अपना सहमति पत्र सौंपा है और इस तरह की नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता की पुष्टि भी की है। निदेशक मण्डल ने कम्पनी के सदस्यों को उनकी मंजूरी के लिए मैसर्स केएमजीएस एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 4730 N) को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने की सिफारिश की है, जिसे पांच वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों या उनके सम्बन्धियों का नोटिस के मद संख्या 5 में किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध या हित नहीं है।

निदेशक मण्डल, नोटिस में वर्णित मद संख्या 5 में दिए गए विशेष प्रस्ताव पर सदस्यओं द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या – 7

निर्माता कंपनी से संबंधित प्रावधानों को कंपनी अधिनियम, 2013 में अध्याय XXI-A (द चैप्टर') के सम्मिलन के साथ कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से शामिल किया गया है। उक्त प्रावधान 11 फरवरी, 2021 से लागू हैं। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A के प्रावधान अब लागू नहीं हैं और इसे निरस्त कर दिया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के तहत दिए गए प्रावधानों को बदल दिया गया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के अंतर्नियम में किए गए कम्पनी अधिनियम, 1956 से संबंधित सभी संदर्भों को संबंधित धारा/कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

तदनुसार, कम्पनी के अंतर्नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव है।

लागू सांविधिक प्रावधानों के संदर्भ में, जैसा कि संकल्प के निकाय में गणना की गई है, कंपनी को कंपनी के अंतर्नियमों में परिवर्तन के लिए सदस्यों की मंजूरी लेनी होती है।

प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ ज्ञापन और कम्पनी के अंतर्नियमों की एक प्रति प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर इस तारीख से लेकर बैठक की तारीख तक सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

कम्पनी के निदेशक/अधिकारियों या उनके सम्बन्धियों का नोटिस के मद संख्या 7 में किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध या हित नहीं है।

निदेशक मण्डल, नोटिस में वर्णित मद संख्या 7 में दिए गए विशेष प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के अनुसार निदेशक पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों की योग्यताओं सम्बन्धी विवरण।

मद संख्या 3, 4,

नाम	व्यवसाय	योग्यता	अन्य कम्पनी में निदेशक
श्रीमती पिंकी शर्मा	पशुपालन	स्नातक	नहीं
श्रीमती सुनीता बाई	पशुपालन	स्नातक	नहीं

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
धर्मेन्द्र कुमार

स्थान – अलवर

दिनांक –

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

आयगत बजट

क्रम सं.	विवरण	माप की इकाई	बजट वित्तीय वर्ष 2021–22
1.	दुग्ध खरीद	(किलोग्राम प्रतिदिन)	139396
2.	आय	(रुपये लाख में)	21240.21
3.	परिवर्तनशील लागत	(रुपये लाख में)	20794.95
4.	स्थिर लागत	(रुपये लाख में)	402.25
5.	**दुग्ध संचालन से शुद्ध लाभ/(हानि)**	**(रुपये लाख में)**	**43.02**
6.	धानी से दुग्ध संचालन के लिए परिचालन घाटे का समर्थन	(रुपये लाख में)	0
7.	पीईएस गतिविधियों के लिए राजस्व व्यय	(रुपये लाख में)	96.87
8.	**पीईएस गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि)**	**(रुपये लाख में)**	(96.87)
9.	धानी से उत्पादकता बढ़ाने की गतिविधियों के लिए प्रस्तावित समर्थन	(रुपये लाख में)	
10.	**अन्य आय**	(रुपये लाख में)	74.72
11.	**उत्पादकता बढ़ाने की गतिविधियों के बाद आय**	**(रुपये लाख में)**	**20.87**

पूंजीगत बजट –

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए पूंजीगत बजट			
क्रम सं.	**विवरण**	**इकाई**	**राशि**
1.	कैन्स लागत	(रुपये लाख में)	33.00
2.	हेड ऑफिस सेटअप	(रुपये लाख में)	5.00
3.	आईसीटी	(रुपये लाख में)	9.00
4.	डीपीएमसीयू	(रुपये लाख में)	161.71
5.	एमसीसी/बीएमसी ऐसेसरीज	(रुपये लाख में)	7.70
6.	एएमसीयू/आरएमआरडी	(रुपये लाख में)	2.70
	कुल	**(रुपये लाख में)**	**219.10**
	धानी फाउंडेशन से प्राप्त कैपेक्स की प्रस्तावित फंडिंग।	**(रुपये लाख में)**	**0.00**
	कैपेक्स अपने स्वयं के फण्ड सें	**(रुपये लाख में)**	**219.10**

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या:U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या 8-बी, रूपवास रोड भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन: 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com, बेवसाइट: www.sakhimilk.com

फॉर्म संख्या एमजीटी–11
(कंपनी अधिनीयम 2013 की धारा 105(6) और कंपनी
(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुशरण में)

प्रतिनिधि फॉर्म

फोलियो संख्या

सदस्या कोड :

मैं..निवासी...

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्या एतद्द्वारा श्रीमती ....

फोलियो संख्या..निवासी...

अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती ....

फोलियो संख्या..निवासी...

को मंगलवार, 28 सितम्बर 2021 प्रात: 9:30 बजे रितुम्भरा रिसोर्ट, सरिस्का रोड, अलवर (राज.) में होने वाली छठी वार्षिक आम सभा में, मैं मेरी तरफ से प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ।

₹1 का

राजस्व
टिकट लागाएँ

(क) उपस्थिति के लिए ....

(ख) उपस्थिति एवं वोट देने के लिए ....

दिनांक

हस्ताक्षर

नोट: ध्यान रहे कि प्रतिनिधि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुँचना आवश्यक है। तथा प्रतिनिधि को सखी कंपनी की सदस्या होना अनिवार्य है।

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या:U01122RJ2016PTC049648
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या 8-बी, रूपवास रोड भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002
टेलीफोन: 0144-2330332
ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com, बेवसाइट: www.sakhimilk.com

प्राप्ति रसीद

फोलियो संख्या						

सदस्या कोड :																

मैं..निवासी..

.सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्या हूँ। मैने कंपनी द्धारा भेजी गयी छठी वार्षिक आम सभा का नोटिस सभी अनुलग्नको सहित प्राप्त कर लिया है।

सदस्या के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

दिनांक ....

स्थान ....

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U01122RJ2016PTC049648
पंजीकृत कार्यालय – प्लॉट संख्या – 8–बी, रूपवास रोड़, भवानी तोप, अलवर (राज.) – 301002
टेलीफोन : 0144 – 2330332
ई–मेल : alwar.mpc@gmail.com**वैबसाईट –** www.sakhimilk.com

उपस्थिति पर्ची

फोलियो संख्याः						

सदस्या कोडः																

मैं मंगलवार 28 सितम्बर, 2021 को सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की छठी वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ।

अंशधारक का नाम ....

प्रतिनिधि का नाम ....(अगर प्रतिनिधि सभा में भाग ले रही हो तो)

(क) उपस्थिति के लिए – ....

(ख) उपस्थित एवं वोट देने के लिए – ....

अंशधारक / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर*

*जो लागू ना हो उसे काट दें।

वार्षिक आम सभा स्थल का रूटमैप

वार्षिक आम सभा स्थल

रिंतुम्भरा रिंसोर्ट,

सरिस्का रोड़, अलवर (राज.) 301001

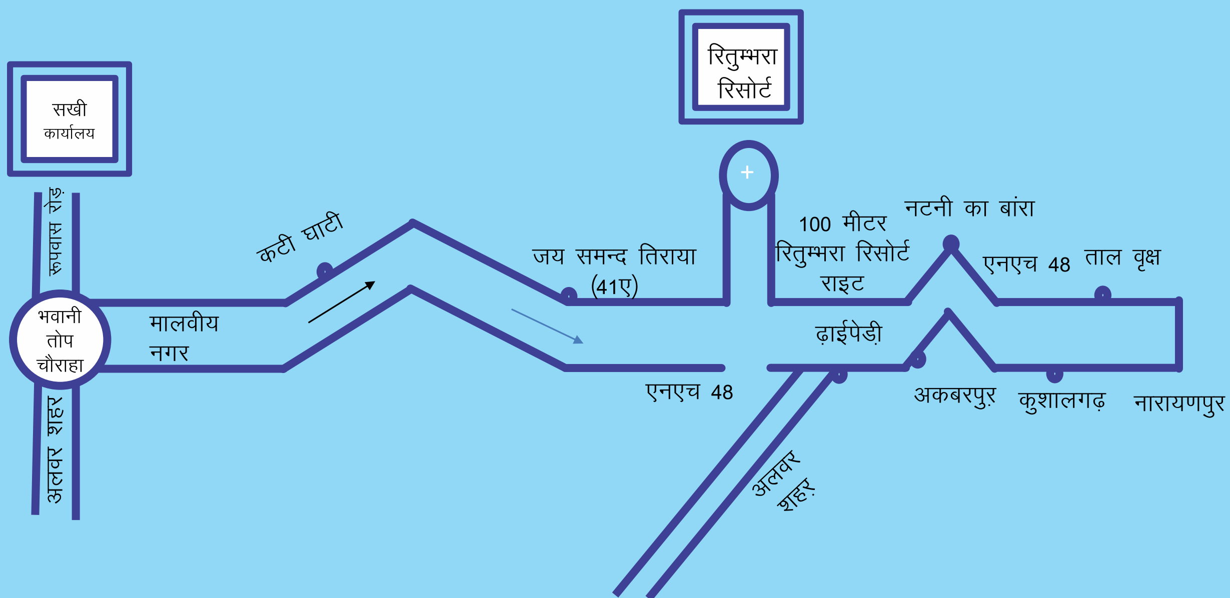

सखी
डेरी
सखी घी
खाने को बनाए अति स्वादिष्ट
और सेहत को बनाए तंदुरूस्त
Sakhi Milk
Vending Machine
सखी दूध का भंडार
पहुंचा आपके द्वार
Sakhi Mahila Milk Producer Company Limited
Plot No. 8B, Roopwas Road, Near Bhawani Top Circle, Alwar-301002 (Raj.)
Toll Free : 76653 58358
admin@sakhimilk.com
www.sakhimilk.com